हिन्दी दैनिक

पथ प्रवाह

RNI No.: UTTHIN/2011/39282

हर खबर पर पैनी नजर

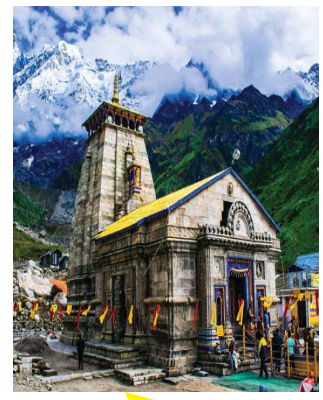

वर्ष:5 अंक:37 पृष्ठ:08 मुल्य:1 रूपये pathpravah.com हरिद्वार, बुधवार, 11 फरवरी 2026

मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना का शुभारंभ, 484 लाभार्थियों को 3.45 करोड़ डीबीटी से हस्तांतरित

पथ प्रवाह, देहरादून।

उत्तराखण्ड में महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक और ऐतिहासिक पहल करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को मुख्य सेवक सदन, मुख्यमंत्री आवास देहरादून में मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना का विधिवत शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के माध्यम से राज्य के 6 जनपदों की 484 एकल महिलाओं के खातों में प्रथम किश्त के रूप में 3 करोड़ 45 लाख 34 हजार 500 रुपये की धनराशि हस्तांतरित की।

मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने बताया कि प्रथम चरण में जनपद बागेश्वर की 42, देहरादून की 191, नैनीताल की 75, पौड़ी की 66, टिहरी की 23 तथा उधमसिंहनगर की 87 लाभार्थी महिलाओं को योजना का लाभ दिया गया है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग के विभागीय कैलेंडर का भी विमोचन किया।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाकर उन्हें सम्मान, सुरक्षा और आत्मनिर्भरता प्रदान करेगी। उन्होंने कहा कि यह योजना राज्य की लाखों महिलाओं के संघर्ष, साहस और आत्मविश्वास को नई दिशा देने का कार्य करेगी। महिलाओं के सशक्तिकरण के बिना किसी भी समाज और राष्ट्र की प्रगति संभव नहीं है, क्योंकि महिला के सशक्त होने से पूरा परिवार और समाज सशक्त होता है। मुख्यमंत्री ने बताया कि शेष 7 जनपदों की 540 एकल महिलाओं को भी लगभग 4 करोड़ की धनराशि इसी माह के अंत तक डीबीटी के माध्यम से प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस योजना में विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा तथा किसी भी कारण से अकेले जीवन का भार उठाने वाली महिलाओं के साथ-साथ एसिड अटैक पीड़िताओं, आपराधिक घटनाओं की पीड़ित महिलाओं और ट्रांसजेंडर समुदाय को भी शामिल किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि योजना के माध्यम से राज्य की नारी शक्ति अब केवल लाभार्थी नहीं बल्कि नेतृत्वकर्ता की भूमिका निभाएगी। उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में महिलाओं के कल्याण हेतु किए जा रहे प्रयासों का उल्लेख करते हुए कहा कि संसद एवं विधानसभाओं में 33 प्रतिशत आरक्षण, बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ अभियान, उज्ज्वला योजना, लखपति दीदी योजना तथा ट्रिपल तलाक जैसी कुप्रथा की समाप्ति जैसे ऐतिहासिक निर्णय महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में मील का पत्थर हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार मातृशक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्यमिता और रोजगार के क्षेत्र में निरंतर कार्य कर रही है। उत्तराखंड राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, सशक्त बहना उत्सव योजना, मुख्यमंत्री महिला स्वयं सहायता समूह सशक्तिकरण योजना एवं मुख्यमंत्री उद्यमशाला योजना के माध्यम से महिलाओं को नए अवसर प्रदान किए जा रहे हैं और महिला समूहों द्वारा निर्मित उत्पादों को एक ब्रांड के रूप में विकसित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने बताया कि वर्तमान में राज्य की लगभग 5 लाख महिलाएं 70 हजार से अधिक स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से आजीविका से जुड़ी हैं। 7 हजार से अधिक ग्राम्य संगठन और 500 से अधिक क्लस्टर संगठनों के जरिए महिलाएं सामूहिक नेतृत्व की मिसाल कायम कर रही हैं। प्रदेश की 1 लाख 68 हजार से अधिक महिलाएं 'लखपति दीदी' बनकर महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में नया इतिहास रच चुकी हैं। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। यह योजना एकल महिलाओं की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सकारात्मक बदलाव लाने का कार्य करेगी।

सचिव चंद्रेश यादव ने बताया कि मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना के अंतर्गत अधिकतम 2 लाख तक की परियोजनाएं स्वीकृत की जा रही हैं। लाभार्थी द्वारा लगाए गए स्वयं के अंशदान या ऋण के सापेक्ष 75 प्रतिशत अथवा अधिकतम 1.50 लाख तक की सब्सिडी प्रदान की जाएगी। योजना में महिला का 25 प्रतिशत स्वयं का अंशदान अनिवार्य होगा। कार्यक्रम में निदेशक बी.एल. राणा, विक्रम, श्रीमती आरती, मोहित चौधरी सहित अन्य अधिकारी एवं गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।

एक नजर

पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ मैच बहिष्कार का फैसला लिया वापस

लाहौर। पाकिस्तान सरकार ने 15 फरवरी को कोलंबो में भारत के खिलाफ होने वाले टी-20 विश्व कप ग्रुप मैच में उनकी टीम के बहिष्कार के फैसले को वापस ले लिया है। पाकिस्तान सरकार ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर जारी एक पोस्ट में कहा, 'मित्र देशों के अनुरोध को देखते हुए, उन्होंने पाकिस्तान टीम को भारत के खिलाफ मैच खेलने की अनुमति दे दी है। पाकिस्तान सरकार के भारत के खिलाफ मैच के बहिष्कार के फैसले को वापस लेने को लेकर पिछले कुछ दिनों में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी), बंगलादेश क्रिकेट बोर्ड(बीसीबी) और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) के बीच बैठकों का सिलसिला जारी था। आर्थिक नजरिये से यह इस विश्व कप का सबसे अधिक आर्थिक रूप से लाभकारी मैच है। सोमवार शाम को पीसीबी अध्यक्ष मोहसिन नकवी ने कहा कि भारत के खिलाफ पाकिस्तान के मैच पर फ़ैसला अगले 24-48 घंटों में आ सकता है। इससे कुछ मिनट पहले आईसीसी ने भी एक बयान जारी किया, जिसमें उसने बंगलादेश के प्रति अपना रुख नरम अख्तियार करते हुए कहा कि बंगलादेश टीम पर टी-20 विश्वकप के लिए भारत की यात्रा से इनकार करने पर कोई दंड नहीं लगाया जाएगा। इसके अलावा, उन्हें 2028-2031 चरण में एक अतिरिक्त आईसीसी टूर्नामेंट की मेजबानी के अधिकार भी दिए गए। बीसीबी ने एक बयान जारी कर पीसीबी को उनके समर्थन के लिए धन्यवाद दिया और उनसे भारत के खिलाफ अपने मैच में हिस्सा लेने का आग्रह किया।

ऑनलाइन गेम के कारण होने वाली समस्याओं के खिलाफ जनांदोलन की मांग उठी राज्यसभा में

नयी दिल्ली। युवाओं में मोबाइल और ऑनलाइन गेमों की आदत से होने वाले दुष्परिणामों पर रोक लगाने के लिए जनांदोलन शुरू किये जाने की राज्यसभा में मंगलवार को मांग की गयी। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की सुमित्रा बाल्मीक ने शून्यकाल के दौरान बच्चों और युवाओं में मोबाइल पर आनलाइन गेम की बढती आदत के कारण होने वाले अवसाद की समस्या को उठाया । उन्होंने कहा कि विकसित भारत के सपने को पूरा करना है तो इस चुनौती से निपटना होगा। सदस्य ने डिजिटल गेमों के दुष्परिणामों के खिलाफ जनांदोलन शुरू करने की जरूरत पर बल दिया। उन्होंने कहा कि कालेजों और स्कूलों में हर सप्ताह एक बार इस बारे में संकल्प लिया जाना चाहिए। भाजपा की ही गीता उर्फ चंद्रप्रभा ने मंगलवार को राज्यसभा में उत्तर प्रदेश के जनपद औरेया जिले में विभिन्न स्टेशनों पर कोरोना के दौरान बंद किये गये ट्रेनों के ठहराव को फिर से बहाल करने की मांग की। उन्होंने कहा कि इन स्टेशनों पर ट्रेनों के नहीं रूकने के कारण अनेक लोग और यात्री प्रभावित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये लोग व्यापारिक गतिविधियों से अपने परिवारों का भरण पोषण करते थे लेकिन कोरोना के दौरान इन स्टेशनों पर ट्रेनों का ठहाराव बंद कर दिया गया। उन्होंने कहा कि इसका यात्रियों और स्थानीय लोगों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है । उन्होंने रेल मंत्री से इस दिशा में ठोस कदम उठाने का अनुरोध किया। भाजपा के महेन्द्र भट्ट ने उत्तराखंड के जोशीमठ के आस पास के क्षेत्रों में रहने वाली आबादी की 73 जातियों को केन्द्र की अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में शामिल किये जाने की मांग की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इस बारे में कई बार सिफारिश कर चुकी है। उन्होंने कहा कि यह समाज के समग्र विकास की दिशा में सकारात्मक कदम होगा।

मेरठ-हरिद्वार एनएच-58 को मिलेगी नई रफ्तार, फ्लाईओवर को 419.47 करोड़ की मंजूरी

पथ प्रवाह, नई दिल्ली

सड़क अवसंरचना को सुदृढ़ करने की दिशा में एक बड़ी पहल करते हुए मेरठ-हरिद्वार राष्ट्रीय राजमार्ग-58 पर मुजफ्फरनगर बाईपास के आरंभिक हिस्से में 6-लेन फ्लाईओवर एवं उसके सहायक मार्गों के निर्माण को स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके साथ ही मौजूदा 4-लेन राष्ट्रीय राजमार्ग को 6 लेन तक चौड़ा किया जाएगा। इस महत्वाकांक्षी परियोजना पर कुल 419.47 करोड़ रुपये की लागत आएगी।

इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य मुजफ्फरनगर शहर में प्रवेश और निकास करने वाले वाहनों के कारण वेहलना चौक के पास उत्पन्न होने वाली यातायात बाधाओं को समाप्त करना तथा राजमार्ग पर यातायात प्रवाह को अधिक सुगम और सुरक्षित बनाना है। वर्तमान में ग्रेड जंक्शनों पर भारी ट्रैफिक के चलते जाम की स्थिति बनी रहती है, जिससे आमजन और यात्रियों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ता है।

परियोजना के अंतर्गत प्रमुख चौराहों पर ग्रेड-सेपरेटेड संरचनाओं का निर्माण, जंक्शनों का उन्नयन, क्रॉस-ड्रेनेज संरचनाओं का चौड़ीकरण तथा सुरक्षित और कुशल यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए स्लिप रोड का निर्माण किया जाएगा। इससे न केवल राजमार्ग पर वाहनों की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित होगी, बल्कि क्षेत्रीय संपर्कता भी बेहतर होगी।

इसके अतिरिक्त यह परियोजना राजमार्ग के किनारे नियंत्रित रिबन विकास (Ribbon Development) को भी बढ़ावा देगी, जिससे अव्यवस्थित निर्माण पर अंकुश लगेगा और नियोजित शहरी विस्तार को गति मिलेगी।

सड़क सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए परियोजना में दुर्घटना-संभावित स्थानों और चिन्हित ब्लैकस्पॉट्स पर वाहन अंडरपास का निर्माण भी प्रस्तावित है। इससे इन क्षेत्रों में होने वाली सड़क दुर्घटनाओं में उल्लेखनीय कमी आने की संभावना है।

इस परियोजना के पूर्ण होने से मेरठ, मुजफ्फरनगर और हरिद्वार के बीच आवागमन तेज होगा, यात्रा समय में कमी आएगी और व्यापार, उद्योग तथा पर्यटन गतिविधियों को भी नया प्रोत्साहन मिलेगा। यह परियोजना केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के तहत विकसित किए जा रहे आधुनिक सड़क नेटवर्क की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।

विपक्ष ने पेश किया लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस

नयी दिल्ली। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पद से हटाने के लिये उनके खिलाफ कांग्रेस तथा अन्य विपक्षी दलों ने मंगलवार को अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस लोकसभा सचिवालय को सौंपा है।

कांग्रेस सूत्रों के अनुसार नोटिस लोकसभा में कांग्रेस के मुख्य सचेतक के सुरेश ने लोकसभा महासचिव उत्पल कुमार सिंह को उनके कार्यालय में जाकर दिया है। नोटिस के प्रस्ताव पर कुल 118 सदस्यों के हस्ताक्षर हैं। लोकसभा में कांग्रेस के सांसदों की संख्या 99 है।

विपक्ष के लोकसभा अध्यक्ष के विरुद्ध दायर इस अविश्वास प्रस्ताव के नोटिस में लगाये गये आरोपों की जांच होगी। नियमों के अनुसार जांच प्रक्रिया के बाद इस नोटिस पर आगे की कार्यवाही को लेकर सचिवालय विचार करेगा।

सूत्रों के अनुसार अविश्वास प्रस्ताव का

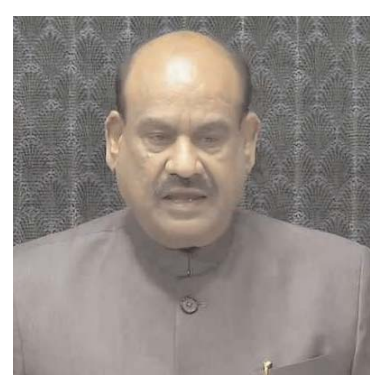

यह नोटिस श्री बिरला को पद से हटाने के लिए अनुच्छेद 94(सी) के तहत दिया गया है। उन पर आरोप लगाया गया है कि वह सदन की कार्यवाही पक्षपातपूर्ण तरीके से संचालित कर रहे हैं। नोटिस में कहा गया है कि वह सत्ता पक्ष के सदस्यों को पर्याप्त समय सदन में बोलने का देते हैं जबकि विपक्षी दलों के नेताओं को बोलने का मौका तक नहीं दिया जाता है और बार बार और अनावश्यक रूप से उन्हें रोका तथा टोका जाता है। इसमें दो फरवरी और तीन फरवरी का विवरण दिया गया है जिसमें कहा गया है कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चल रही चर्चा में बोलने की अनुमति नहीं दी गयी।

विपक्ष के नोटिस में श्री बिरला के उस बयान को भी दिया गया है जिसमें उन्होंने लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर जवाब देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नहीं आने का कारण बताया है। तीन पेज के इस नोटिस में पहला हस्ताक्षर कांग्रेस नेता के सी वेणुगोपाल का है जबकि दूसरे स्थान पर द्रमुक के टी आर बालू का और फिर समाजवादी पार्टी के धमेंद्र यादव का है।

जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने किया तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का शुभारंभ

सीखने की प्रक्रिया में संवाद और सहभागिता बढ़ाने पर दिया ज़ोर

पथ प्रवाह, पौडी।

जनपद पौड़ी के विकास भवन सभागार में जिलाधिकारी स्वाति एस. भदौरिया द्वारा दीप प्रज्ज्वलन कर तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का विधिवत शुभारंभ किया गया। डॉ. रघुनंदन सिंह टोलिया प्रशासनिक अकादमी, नैनीताल के तत्वावधान में आयोजित इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों की कार्यक्षमता एवं कौशल में वृद्धि करना है।

कार्यक्रम के शुभारंभ पर परियोजना प्रबंधक स्वजल दीपक रावत ने उपस्थित अतिथियों का स्वागत किया गया और प्रशासनिक सुधारों की दिशा में इस प्रशिक्षण को एक महत्वपूर्ण कदम बताया। कार्यशाला के पहले दिन सूचना के अधिकार विषय पर प्रशिक्षण दिया गया। जिलाधिकारी स्वाति एस. भदौरिया ने प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित करने के लिए एटीआई नैनीताल को धन्यवाद दिया तथा प्रशिक्षण की गुणवत्ता और कार्मिकों की शत-प्रतिशत भागीदारी पर विशेष बल दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि सीखने की प्रक्रिया को संवादमूलक और प्रभावी बनाने

के लिए प्रतिभागियों को खुली परिचर्चा एवं फीडबैक के माध्यम से सक्रिय योगदान देना चाहिए। जिलाधिकारी के अनुसार, प्रशासनिक नियमों और प्रक्रियाओं की गहरी समझ केवल औपचारिकता नहीं बल्कि सुशासन की आधारशिला है। जब कार्मिक अपनी प्रतिदिन की कार्यप्रणाली की बारीकियों से अवगत होते हैं, तभी सरकारी कार्यों में आने वाली जटिलताओं का समाधान संभव है और शासन की मंशा के अनुरूप पारदर्शी एवं जनहितैषी परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। जिलाधिकारी ने पदोन्नति, चयन, वेतनमान, एसीपी और वेतन निर्धारण जैसे विषयों की महत्ता पर बल देते हुए कहा कि यह विषय केवल कागजी प्रक्रियाएं नहीं, बल्कि कार्मिकों के मनोबल और विभागीय दक्षता से जुड़े अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू हैं। उन्होंने कहा कि इन सभी वित्तीय और सेवा संबंधी प्रकरणों का निस्तारण आईएफएमएस पोर्टल के माध्यम से पूर्ण पारदर्शिता और समयबद्धता के साथ किया जाना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए।

उन्होंने स्पष्ट किया कि इन तकनीकी बारीकियों का सटीक ज्ञान ही कार्यप्रणाली की समस्याओं को दूर करेगा, जिससे कर्मचारियों के हितों का संरक्षण किया जा सकेगा। आज के सत्र के संबंध में संबोधित करते हुए जिलाधिकारी ने सूचना के अधिकार को सुशासन का मुख्य आधार बताते हुए समस्त लोक सूचना अधिकारियों को अधिनियम के प्रावधानों का गहन अध्ययन करने हेतु निर्देशित किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि अधिकारी आमजन और शासन के बीच एक संवेदनशील सेतु हैं, जिनकी नैतिक जिम्मेदारी जनता तक सटीक सूचनाएं पहुँचाना है। उन्होंने आह्वान किया कि अधिनियम के प्रभावी अनुपालन के लिए सभी कार्मिक अपनी कार्यप्रणाली में पूर्ण सत्यनिष्ठा, सजगता और पारदर्शिता सुनिश्चित करें।

?कार्यशाला के उद्देश्यों पर प्रकाश डालते हुए अकादमी के अपर कार्यक्रम निदेशक अनूप बमोला ने आगामी तीन दिनों की रूपरेखा साझा की। उन्होंने जानकारी दी कि अकादमी वर्तमान में हर जिले में अधिकतम पहुंच सुनिश्चित करने के लक्ष्य पर काम कर रही है, ताकि ग्राउंड लेवल पर तैनात अधिकारियों एवं कर्मचारियों को उनके कार्य से संबंधित प्रासंगिक विषयों की जानकारी दी जा सके। उन्होंने बताया कि प्रशिक्षण को पूरी तरह संवादात्मक रखा गया है ताकि व्यावहारिक समस्याओं का समाधान मौके पर ही तलाशा जा सके।

इस अवसर पर विषय विशेषज्ञ आरटीआई राजेश देवली, पीडी विवेक उपाध्याय, डीएसटीओ राम सलोने, अपर पशु चिकित्साधिकारी नंदन सिंह आगरी, डीपीआरओ जितेंद्र कुमार, एआरटीओ एन के ओझा, एडीपीआरओ प्रदीप सुंदरियाल सहित विभिन्न अधिकारी तथा कर्मचारी उपस्थित रहे।

हरिद्वार में अवैध पनीर फैक्ट्री का भंडाफोड़, 12 प्रतिष्ठानों पर छापेमारी में पनीर-दही के सैंपल

पथ प्रवाह, हरिद्वार

महाशिवरात्रि पर्व को देखते हुए खाद्य सामग्री में मिलावट पर रोक लगाने के उद्देश्य से खाद्य सुरक्षा आयुक्त सचिन कुर्वे एवं जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के निर्देशों पर खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा जनपद भर में सघन निरीक्षण अभियान चलाया गया। इस अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा टीमों ने विभिन्न क्षेत्रों में कुल 12 खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण कर खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और वैधता की जांच की। जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी हरिद्वार महिमानंद जोशी ने बताया कि देर रात्रि उपायुक्त गढ़वाल आर.एस. रावत के नेतृत्व में वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिलीप जैन एवं पवन कुमार की संयुक्त टीम द्वारा इब्राहिमपुर स्थित पनीर एवं दही निर्माण इकाई (पुंडीर फैक्ट्री) पर छापा मारा गया। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि उक्त इकाई बिना वैध फूड लाइसेंस के अवैध रूप से संचालित की जा

रही थी। साथ ही मौके पर आवश्यक एवं अनिवार्य दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए जा सके। इन गंभीर अनियमितताओं को देखते हुए पनीर निर्माण इकाई को अग्रिम आदेशों तक तत्काल बंद करा दिया गया।

कार्रवाई के दौरान फैक्ट्री से पनीर एवं दही के दो नमूने संग्रहित कर जांच हेतु राजकीय खाद्य प्रयोगशाला, रुद्रपुर भेजे गए हैं। इस पूरी कार्रवाई के दौरान पथरी थाना की पुलिस टीम भी मौके पर मौजूद रही, जिससे कार्रवाई शांतिपूर्ण एवं प्रभावी ढंग से संपन्न हुई। जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने आगे बताया कि महाशिवरात्रि पर्व के दौरान श्रद्धालुओं की भीड़ को ध्यान में रखते हुए कांवड़ पटरी मार्ग पर चंडी पुल से चिड़ियापुर तक स्थित अस्थाई खाद्य स्टॉलों एवं भंडारों का भी निरीक्षण किया गया। इस दौरान संबंधित संचालकों को कूड़े का उचित निस्तारण करने, रेट लिस्ट स्पष्ट रूप से चस्पा करने तथा अनिवार्य रूप से खाद्य पंजीकरण/लाइसेंस बनवाने के निर्देश दिए गए।

इसके अतिरिक्त वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिलीप जैन के नेतृत्व में इंडस्ट्रियल एरिया स्थित कोल्ड ड्रिंक के दो गोदामों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान माजा एवं फेंटा कोल्ड ड्रिंक के दो नमूने जांच के लिए लिए गए। साथ ही निरीक्षण में पाई गई अनियमितताओं के संबंध में दोनों गोदाम स्वामियों को नोटिस जारी किए गए हैं।

वहीं खाद्य सुरक्षा अधिकारी पवन कुमार के नेतृत्व में पंतद्वीप पार्किंग क्षेत्र में स्थित अस्थाई एवं स्थाई खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया। इस दौरान कुल 12 खाद्य प्रतिष्ठानों की जांच की गई, जिसमें तीन प्रतिष्ठानों के पास फूड लाइसेंस नहीं पाए जाने पर नोटिस जारी किए गए। एक रेस्टोरेंट में 6 कोल्ड ड्रिंक्स एक्सपायरी डेट की पाई गईं, जिन्हें मौके पर ही जब्त कर नष्ट कराया गया।

जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने स्पष्ट किया कि महाशिवरात्रि पर्व के दौरान श्रद्धालुओं एवं आमजन को शुद्ध, सुरक्षित एवं गुणवत्तायुक्त खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना विभाग की सर्वोच्च प्राथमिकता है। खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा आगे भी ऐसे सघन निरीक्षण अभियान जारी रहेंगे और किसी भी प्रकार की मिलावट या लापरवाही पाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी।

एक नजर

अनाधिकृत निर्माण पर प्राधिकरण की सख्त कार्रवाई, पुलिस बल की मौजूदगी में भवन सील

पथ प्रवाह, हरिद्वार। शहर में अवैध निर्माण के खिलाफ अभियान को तेज करते हुए हरिद्वार रूड़की विकास प्राधिकरण की टीम ने मंगलवार को जियापोता क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई की है। अजितेश विहार से पूर्व, माँ शीतला विहार कॉलोनी फेज-3 में कौस्तुभ के मकान के सामने सचिन द्वारा किए जा रहे अनाधिकृत निर्माण को पुलिस बल की उपस्थिति में सील कर दिया गया। प्राधिकरण से मिली जानकारी के अनुसार उक्त स्थल पर लगभग 40म30 फीट क्षेत्रफल में भूतल पर निर्माण कार्य किया जा रहा था, जिसके लिए सक्षम प्राधिकरण से कोई स्वीकृत मानचित्र प्राप्त नहीं किया गया था। निरीक्षण के दौरान निर्माण कार्य अनियमित पाए जाने पर तत्काल प्रभाव से सीलिंग की कार्रवाई अमल में लाई गई। कार्रवाई के समय मौके पर मौजूद अनाधिकृत निर्माणकर्ता को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि बिना मानचित्र स्वीकृत कराए किसी भी प्रकार का आगे निर्माण कार्य न किया जाए। साथ ही चेतावनी दी गई कि नियमों की अवहेलना की स्थिति में संबंधित अधिनियम के तहत कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

शिवालिक नगर: वार्ड-4 में पार्क सौंदर्यीकरण कार्य का शुभारंभ, अध्यक्ष राजीव शर्मा ने किया उद्घाटन

पथ प्रवाह, शिवालिक नगर।

नगर पालिका शिवालिक नगर के अध्यक्ष राजीव शर्मा ने नगर के सतत विकास को गति देते हुए वार्ड नंबर-4, शिवालिक नगर में क्यू-84 के सामने स्थित पार्क के सौंदर्यीकरण कार्य का विधिवत शुभारंभ किया। इस अवसर पर क्षेत्रवासियों में विशेष उत्साह देखने को मिला।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नगर पालिका अध्यक्ष राजीव शर्मा ने कहा कि नगर के प्रत्येक वार्ड में मूलभूत सुविधाओं के विस्तार के साथ-साथ हरित एवं स्वच्छ वातावरण का निर्माण उनकी प्राथमिकताओं में शामिल है। उन्होंने कहा कि पार्कों का सौंदर्यीकरण न केवल पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, बल्कि बच्चों, बुजुर्गों और युवाओं के लिए स्वस्थ जीवनशैली को भी प्रोत्साहित करता है।

अध्यक्ष राजीव शर्मा ने बताया कि नगर पालिका शिवालिक नगर नागरिकों को बेहतर सुविधाएँ उपलब्ध कराने के लिए निरंतर विकास कार्य कर रही है। आने वाले

समय में नगर के अन्य वार्डों में भी इसी प्रकार के विकास एवं सौंदर्यीकरण कार्य कराए जाएंगे, ताकि शिवालिक नगर को स्वच्छ, सुंदर एवं सुव्यवस्थित बनाया जा सके।

इस अवसर पर सभासद हरिओम चौहान, पूर्व सभासद अजय मलिक, मंडल अध्यक्ष कैलाश भंडारी, राजेश सैनी, चौधरी महावीर, पी.के. चौधरी, रामफल यादव, आशुतोष चौहान, पी.एस. भगत, वी.पी. सिंह, अजय सैनी, मनीष सैनी, गौरव गुर्जर, रवि वर्मा, देव विख्यात भाटी, वेदांत चौहान, रविंद्र उनियाल, चंद्रभान शर्मा, विवेक त्यागी, अंकुर जैन, दीपक होंडा, रमेश चंद नेगी, अनुप रावत, सुनील त्यागी, विकास बाली, अखिलेश चौहान, राकेश राणा, रामचंद्र चौहान, तारकेश्वर, अनुज, भूषण शर्मा, प्रवीण कुमार, त्रिलोक सिंह सहित पार्टी पदाधिकारी, कार्यकर्ता बंधु एवं बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे।

राजकीय मेडिकल कॉलेज, हरिद्वार में बुनियादी सुविधाओं का अभाव, छात्रों ने उठाई आवाज

पथ प्रवाह, हरिद्वार।

राजकीय मेडिकल कॉलेज, हरिद्वार में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं ने कॉलेज एवं छात्रावास में व्याप्त गंभीर अव्यवस्थाओं को लेकर प्रशासन के खिलाफ आवाज बुलंद की है। छात्र–छात्राओं का कहना है कि बीते कई महीनों से मूलभूत शैक्षणिक, आवासीय एवं दैनिक जरूरतों से जुड़ी समस्याएँ लगातार बनी हुई हैं, जिससे न केवल पढ़ाई प्रभावित हो रही है, बल्कि छात्रों का मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य भी प्रभावित हो रहा है। प्रशासन की उदासीनता से आहत छात्र–छात्राओं ने कॉलेज प्रागंण में विरोध प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। प्रदर्शन करने के दौरान छात्र–छात्राओं ने बताया कि कॉलेज की प्रैक्टिकल लैब में पिछले करीब पाँच महीनों से आवश्यक उपकरण उपलब्ध नहीं हैं, जिससे प्रायोगिक कक्षाएँ बाधित हो रही हैं। वहीं लेक्चर थिएटर में चॉक, डस्टर जैसी सामान्य व्यवस्थाओं का भी अभाव है। कई लेक्चर थिएटरों में प्रोजेक्टर महीनों से खराब पड़े हैं और पेयजल की कोई व्यवस्था नहीं है। छात्रों ने हॉस्टल से जुड़ी समस्याओं को भी गंभीर बताया। उनका कहना है कि छात्रावासों में प्रतिदिन सफाई नहीं हो रही, पीने के पानी की कमी है, कई शौचालयों में फ्लश खराब हैं, जेट स्प्रे व शीशे तक नहीं लगे हैं तथा गर्म पानी की सुविधा उपलब्ध नहीं है। सीनियर गर्ल्स हॉस्टल में पीने के पानी का नल तक नहीं होने की बात सामने आई है।

मेस व्यवस्था को लेकर छात्रों ने गहरी नाराजगी जताई। आरोप है कि मेस का भोजन अत्यंत निम्न गुणवत्ता का, अत्यधिक तेलयुक्त और अस्वच्छ होता है। रोजाना लगभग एक ही प्रकार का भोजन परोसा जा रहा है। साथ ही मेस में स्वच्छता मानकों का भी पालन नहीं किया जा रहा।

छात्रों ने यह भी बताया कि शिक्षकों को ऑनलाइन ऑर्डर की अनुमति है, जबकि छात्रों को आवश्यक वस्तुओं के लिए ब्लिंकिट या अन्य ऑनलाइन ऑर्डर की अनुमति नहीं दी जाती, जबकि सभी ऑर्डर की सुरक्षा जांच गार्ड द्वारा की जाती है और कॉलेज परिसर के आसपास पर्याप्त बाजार सुविधा भी उपलब्ध नहीं है। इसे छात्रों ने भेदभावपूर्ण व्यवस्था बताया। छात्राओं की सुरक्षा एवं स्वतंत्रता से जुड़ा मुद्दा भी सामने आया है। छात्राओं की आउटिंग पिछले पाँच महीनों से बंद है और इसके पीछे कोई स्पष्ट कारण नहीं बताया गया है। वहीं हॉस्टल टाइमिंग को लेकर भी असंगति है–ऑर्डर का समय रात 10 बजे तक और प्रवेश समय रात 9 बजे तक निर्धारित है, जिससे भ्रम की स्थिति बनी रहती है।

छात्रों ने कुछ गार्ड्स पर दुर्व्यवहार, बिना अनुमति कमरों में प्रवेश करने और फोटो लेने जैसे गंभीर आरोप भी लगाए हैं। इसके अलावा सह-पाठ्यक्रम गतिविधियों के अभाव, खेल मैदान एवं उपकरणों की कमी, त्योहारों के आयोजन न होने, जूनियर्स की व्हाइट कोट सेरेमनी आयोजित न किए जाने और कॉलेज स्थापना के बाद से अब तक वार्षिक उत्सव (फेस्ट) न होने पर भी नाराजगी जताई गई है।

नेटवर्क की खराब स्थिति को भी छात्रों ने बड़ी समस्या बताया है। हॉस्टल और लेक्चर थिएटर में वाई-फाई सुविधा की मांग की गई है। साथ ही कैंटीन की उचित व्यवस्था न होने और विभागों में कार्यरत शौचालयों की जर्जर हालत का मुद्दा भी उठाया गया।

छात्रों ने प्रशासन से मांग की है कि सभी समस्याओं पर शीघ्र कार्यवाही की जाए अथवा उनके समाधान के लिए एक निश्चित समय-सीमा घोषित की जाए। छात्रों ने स्पष्ट किया कि उनका उद्देश्य विरोध करना नहीं है, बल्कि शांतिपूर्ण और सुव्यवस्थित वातावरण में अध्ययन हेतु मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित कराना है। हालांकि छात्रों ने चेतावनी दी है कि यदि शीघ्र समाधान नहीं हुआ तो वे कक्षाओं के बहिष्कार के लिए बाध्य हो सकते हैं।

एक नजर

तेज रफ्तार डंपर का कहर, बाइक सवार दो युवक गंभीर रूप से घायल

पथ प्रवाह, हरिद्वार। भगवानपुर कस्बे में एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जहां तेज रफ्तार खनन सामग्री से लदे डंपर ने बाइक सवार दो युवकों को रौंद दिया। हादसा इतना भीषण था कि बाइक के परखच्चे उड़ गए और दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। दुर्घटना में दोनों की एक-एक टांग बुरी तरह क्षतिग्रस्त होने की सूचना है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, डंपर तेज गति और लापरवाही से चलाया जा रहा था। अचानक सामने आई बाइक को डंपर ने जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे तो सड़क पर खून से लथपथ युवक तड़पते मिले। घायल युवकों की पहचान सिकरोड़ा गांव निवासी के रूप में की जा रही है।

हादसे के बाद क्षेत्र में अफरा-तफरी मच गई। गुस्साए राहगीरों और स्थानीय लोगों ने डंपर चालक को मौके पर ही पकड़ लिया और उसकी जमकर धुनाई कर दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और चालक को भीड़ से छुड़ाकर हिरासत में लिया। पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करते हुए डंपर को अपने कब्जे में ले लिया। घायलों की हालत नाजुक देखते हुए उन्हें तत्काल एंबुलेंस से देहरादून के अस्पताल रेफर किया गया, जहां उनका इलाज जारी है। डॉक्टरों के अनुसार दोनों युवकों की स्थिति गंभीर बनी हुई है। प्रारंभिक जांच में तेज रफ्तार और लापरवाही को हादसे का मुख्य कारण माना जा रहा है। वहीं, खनन सामग्री ढोने वाले भारी वाहनों से लगातार हो रहे सड़क हादसों को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं। स्थानीय लोगों ने ऐसे डंपरों की आवाजाही पर सख्त नियंत्रण की मांग की है। फिलहाल पुलिस मामले की गहन जांच में जुटी हुई है और चालक से पूछताछ की जा रही है। पुलिस का कहना है कि जांच के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

बालिका के साथ साथ छेडखानी करने वाला आरोपी गिरफ्तार

पथ प्रवाह, हरिद्वार। बालिका के साथ छेड़खानी करने वाले आरोपी को नगर कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ पीड़िता के पिता ने मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस के मुताबिक वादी ने अपनी नाबालिग पुत्री उम्र -16 वर्ष के साथ कुलदीप शर्मा पुत्र ओमप्रकाश शर्मा निवासी-वानप्रस्थ आश्रम शमशान घाट रोड खडखडी हरिद्वार द्वारा छेडखानी करने के सम्बन्ध में तहरीर दी गयी। जिसके आधार पर तत्काल कोतवाली नगर हरिद्वार में आरोपी कुलदीप शर्मा के विरुद्ध मु0अ0स0-57/2026 धारा-74 ब्नहस् व 7/8 पोक्सो एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया।

जिसकी विवेचना म0उ0नि0 अनिता शर्मा के सुपुर्द की गयी। बालिका के साथ हुयी घटना की संवेदनशीलता को देखते हुये वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद हरिद्वार के दिशा निर्देश के क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी नगर के पर्यवेक्षण में एवं प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नगर हरिद्वार के कुशल नेतृत्व में अभियुक्त कुलदीप शर्मा उपरोक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया। गठित पुलिस टीम द्वारा मुखबिर तन्त्र को अलर्ट किया गया। पुलिस टीम ने 09 फरवरी 2026 को मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त कुलदीप शर्मा उपरोक्त उम्र-21 वर्ष को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। पुलिस टीम में महिला उपनिरीक्षक अनिता शर्मा, कांस्टेबल पवनीश कवि और संदीप रावत शामिल रहे।

कुम्भ मेला-2027, बहादराबाद क्षेत्र में मेलाधिकारी सोनिका का स्थलीय निरीक्षण

पथ प्रवाह, हरिद्वार

आगामी कुम्भ मेला-2027 की तैयारियों को लेकर मेला प्रशासन पूरी तरह सक्रिय नजर आ रहा है। इसी क्रम में मंगलवार को मेलाधिकारी कुम्भ मेला श्रीमती सोनिका ने बहादराबाद क्षेत्र का भ्रमण कर विभिन्न निर्माण कार्यों एवं व्यवस्थाओं का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने धनौरी-सिडकुल लिंक मार्ग पर पथरी रौ नदी पर निर्माणाधीन पुल का निरीक्षण कर कार्यदायी संस्था सिंचाई विभाग के अभियंताओं को निर्माण कार्य में उच्च गुणवत्ता एवं समयबद्धता सुनिश्चित करने के सख्त निर्देश दिए।

मेलाधिकारी सोनिका ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि कुम्भ मेला जैसे विश्वस्तरीय आयोजन से जुड़े निर्माण कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही अथवा देरी कतई स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने अभियंताओं को निर्देशित किया कि सभी कार्य निर्धारित मानकों के अनुरूप पूर्ण किए जाएं और गुणवत्ता से कोई समझौता न किया जाए।

आगामी कुम्भ मेला-2027 के दौरान करोड़ों श्रद्धालुओं के आगमन को देखते हुए मेला क्षेत्र में यातायात सुगमता, भीड़ प्रबंधन एवं आधारभूत संरचनाओं को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से तैयारियां तेज कर दी गई हैं। मेला प्रशासन द्वारा कुम्भ से जुड़े सभी निर्माण कार्यों को तय समयसीमा में पूर्ण कराने हेतु कार्यदायी संस्थाओं को लगातार निर्देशित किया जा रहा है। इसके साथ ही कार्यों की प्रगति एवं गुणवत्ता की नियमित रूप से स्थलीय समीक्षा भी की जा रही है। मेलाधिकारी श्रीमती सोनिका ने बहादराबाद क्षेत्र के भ्रमण के दौरान धनौरी-सिडकुल लिंक मार्ग पर पथरी रौ नदी पर पुरानी गंग नहर सायफन के डाउनस्ट्रीम में निर्माणाधीन 90 मीटर स्पान के पुल का भी निरीक्षण किया। यह पुल लगभग 1659.42 लाख की लागत से निर्मित किया जा रहा है, जो दो लेन का कंपोजिट स्टील पुल होगा। पुल का निर्माण कार्य गत 28 जनवरी 2026 को प्रारंभ किया गया है, जिसे आगामी 31 अक्टूबर 2026 तक पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। निरीक्षण के दौरान मेलाधिकारी सोनिका ने निर्देश दिए कि कार्यदायी संस्था सिंचाई विभाग के वरिष्ठ अभियंता निर्माण कार्य की सतत निगरानी करें तथा समय-समय पर गुणवत्ता की जांच सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि यह पुल कुम्भ मेला के दौरान यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और श्रद्धालुओं की सुगम आवाजाही सुनिश्चित करेगा।

निरीक्षण के अवसर पर अपर मेलाधिकारी दयानंद सरस्वती सहित मेला प्रशासन एवं सिंचाई विभाग के अनेक अधिकारीगण उपस्थित रहे।

जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार: जमालपुर कलां में बहुउद्देशीय शिविर

पथ प्रवाह, हरिद्वार। उत्तराखण्ड सरकार की जनकल्याणकारी पहल 'जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार' अभियान के तहत सोमवार दिनांक 10 फरवरी 2026 को विकासखण्ड बहादराबाद की न्याय पंचायत जगालपुर कलां के अंतर्गत ग्राम पंचायत जमालपुर कलां के सामुदायिक भवन में एक बहुउद्देशीय जन सेवा शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का उद्देश्य ग्रामीणों की समस्याओं का त्वरित समाधान एवं सरकारी योजनाओं की जानकारी सीधे जनता तक पहुँचाना रहा। शिविर के नोडल अधिकारी अमित चन्द, जिला शिक्षा अधिकारी (बेसिक), हरिद्वार रहे। शिकायतों की सुनवाई का संचालन अमित चन्द के साथ अरुण कुमार भट्ट, प्रभारी खण्ड विकास अधिकारी बहादराबाद एवं वेद प्रकाश, जिला विकास अधिकारी, हरिद्वार द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। शिविर में स्वामी यतीश्वरानन्द, उपाध्यक्ष (भाजपा), देशराज कर्णवाल (राज्य मंत्री), आशू चौधरी (जिला उपाध्यक्ष भाजपा) की गरिमामयी उपस्थिति रही। इसके साथ ही विवेक चौहान (मण्डल अध्यक्ष भाजपा), नाथीराम चौधरी (किसान मोर्चा भाजपा), कामिल अंसारी (भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा), हरेन्द्र चौधरी (प्रधान, जमालपुर कलां), राजेश कुमार वर्मा (अध्यक्ष, ग्राम प्रधान संगठन), दीपक रौनी (प्रधान, ग्राम पंचायत शाहपुर शीतलाखेड़ा), पंकज चौहान (प्रधान प्रतिनिधि, गिरारपुर) एवं नफीरा अहमद (प्रधान प्रतिनिधि, गाडोवाली) सहित बड़ी संख्या में ग्रामवासी उपस्थित रहे।

शिविर में 19 विभागों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने प्रतिभाग किया तथा ग्रामीणों को अपने-अपने विभागों से संबंधित सरकारी योजनाओं की विस्तृत जानकारी प्रदान की। इस दौरान ग्रामीणों द्वारा कुल 56 शिकायतें/आवेदन पत्र प्रस्तुत किए गए, जिनमें से 24 शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया, जबकि शेष शिकायतों को शीघ्र समाधान हेतु संबंधित विभागों को अग्रसारित किया गया। इस बहुउद्देशीय शिविर में लगभग 1950 ग्रामीणों ने प्रतिभाग किया और विभिन्न सरकारी योजनाओं का प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त किया।

शिविर की समस्त व्यवस्थाएं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी जमालपुर कलां, श्रीमती इन्दूबाला द्वारा कुशलतापूर्वक सुनिश्चित की गईं। शिविर के माध्यम से शासन की मंशा के अनुरूप प्रशासन को जनता के द्वार तक पहुँचाकर पारदर्शी, संवेदनशील एवं जवाबदेह शासन की दिशा में एक प्रभावी पहल देखने को मिली।

संपादकीय

जनसंख्या विस्फोट: कानून की चुप्पी और नीति की विफलता

भारत में जनसंख्या नियंत्रण का मुद्दा हर कुछ वर्षों में उग्र बहस बनकर उभरता है और फिर राजनीतिक सुविधा के अंधेरे में गुम हो जाता है। एक तरफ सरकारें 'सबके लिए आवास' जैसे महत्त्वाकांक्षी नारे देती हैं, तो दूसरी ओर जमीनी सच्चाई यह है कि जितनी तेजी से घर बनते हैं, उससे कहीं तेज़ी से बेघर लोग पैदा हो रहे हैं। यह विडंबना नहीं, नीति की विफलता है।

संविधान का अनुच्छेद 47 राज्य को नागरिकों के जीवन स्तर और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार की जिम्मेदारी देता है। जनसंख्या नियंत्रण सीधे-सीधे इसी दायरे में आता है। इसके बावजूद संसद में इस विषय पर न तो गंभीर, दीर्घकालिक और सर्वदलीय बहस हुई, न ही कोई राष्ट्रीय सहमति बन पाई। नतीजा यह है कि जनसंख्या आज भी राजनीतिक भाषणों का मुद्दा है, राष्ट्रीय नीति का नहीं।

कुछ वर्ग यह सवाल उठा रहे हैं कि जब संसाधन सीमित हैं, तो जनसंख्या पर सख्त कानून क्यों नहीं? तीन से अधिक बच्चे पैदा करने वालों की नागरिकता समाप्त करने या लंबी सजा जैसे सुझाव गुस्से और हताशा से उपजे हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या ऐसे कठोर प्रावधान संवैधानिक कसौटी पर टिक पाएंगे? नागरिकता कोई रियायत नहीं, बल्कि मूल अधिकारों से जुड़ा विषय है। उसे जनसंख्या के आधार पर छीनने की बात सामाजिक न्याय, समानता और मानवाधिकारों से टकराती है।

यह भी सच है कि जनसंख्या विस्फोट का सीधा असर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, आवास और पर्यावरण पर पड़ रहा है। सरकारी योजनाएँ दबाव में हैं, शहर अव्यवस्थित हो रहे हैं और ग्रामीण संसाधन सिकुड़ रहे हैं। ऐसे में समस्या को नज़रअंदाज़ करना अपराध है, लेकिन समाधान आवेश में नहीं, विवेक से निकले होने चाहिए।

दुनिया के अनुभव बताते हैं कि सख्त दंडात्मक कानूनों से ज्यादा प्रभावी होते हैं–शिक्षा, विशेषकर महिला शिक्षा; स्वास्थ्य सेवाओं तक आसान पहुँच; परिवार नियोजन के साधनों की उपलब्धता; और सामाजिक सुरक्षा। जहाँ महिलाओं को निर्णय का अधिकार मिला, वहाँ जनसंख्या अपने आप संतुलित हुई। चीन जैसे उदाहरण बताते हैं कि जबरन नियंत्रण के दीर्घकालिक सामाजिक दुष्परिणाम भी होते हैं।

भारत को आज एक स्पष्ट, साहसिक और मानवीय जनसंख्या नीति की जरूरत है। संसद को राजनीतिक भय छोड़कर खुली बहस करनी होगी। राज्यों के बिखरे प्रयोगों के बजाय राष्ट्रीय दृष्टि बनानी होगी। सवाल यह नहीं है कि कानून कब बनेगा, सवाल यह है कि क्या हम ऐसा कानून बनाएँगे जो समस्या को सुलझाए, या समाज को और बाँट दे।

जनसंख्या नियंत्रण कोई चुनावी नारा नहीं, बल्कि राष्ट्रीय उत्तरदायित्व है। चुप्पी अब विकल्प नहीं है।

लोकसभाध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास !

डॉ श्रीगोपाल नारसन

विपक्ष के 128 लोकसभा सदस्यों ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पद से हटाने का प्रस्ताव लाने के लिए एक नोटिस लोकसभा महासचिव को सौंप दिया है। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने बताया कि उन्होंने नियम 94सी के तहत लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया है।

लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को 'बोलने की इजाजत नहीं देने ', साथ ही कांग्रेस की महिला सांसदों पर सदन में अनुचित स्थिति पैदा करने के आरोपों पर विपक्ष अध्यक्ष ओम बिरला को पद से हटाने के लिए यह प्रस्ताव लाया है।लोकसभा में कांग्रेस के उप नेता गौरव गोगोई, कांग्रेस के मुख्य सचेतक कोडिकुनिल सुरेश और सांसद मोहम्मद जावेद तथा अन्य कई सांसद नोटिस सौंपने वालो में शामिल है।लोकसभा की प्रक्रिया और आचरण के मानदंडों के नियम 198 के अनुसार, विपक्ष को लोकसभा में मतदान से पहले अविश्वास प्रस्ताव के अपने अनुरोध के लिए औचित्य प्रदान करने की आवश्यकता नहीं है।अविश्वास प्रस्ताव की पूरी प्रक्रिया लोकसभा की प्रक्रिया व कार्य संचालन प्रणाली के नियम 198 (1) से नियम 198 (5) तक के तहत पूरी की जाती है।इस प्रक्रिया के तहत नियम 198 (1) (क) के तहत अविश्वास प्रस्ताव पेश करने वाले सांसद को पहले स्पीकर के जरिये सदन की अनुमति लेनी पड़ती है।सदन की अनुमति के लिए नियम 198 (1) (ख) के मुताबिक, प्रस्ताव की जानकारी सुबह 10 बजे से पहले लोकसभा के महासचिव को देनी पड़ती है।नियम 198 (2) के तहत प्रस्ताव के साथ सांसद को 50 सांसदों के समर्थन वाले हस्ताक्षर दिखाने होते हैं।नियम 198 (3) के तहत लोकसभा अध्यक्ष से प्रस्ताव को अनुमति मिलने के बाद उस पर चर्चा का दिन तय होता है। चर्चा प्रस्ताव पेश होने के 10 दिन के अंदर करानी होती है।नियम 198 (4) के तहत अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के अंतिम दिन लोकसभाध्यक्ष वोटिंग कराते हैं और उस आधार पर फैसला होता है।नियम 198(5) के तहत लोकसभा अध्यक्ष को टिप्पणी के लिए समय सीमा निर्धारित करने का अधिकार है। यदि प्रस्ताव सदन द्वारा अनुमोदित हो जाता है तो सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है ।अब तक लोक सभा में 27 बार अविश्वास प्रस्ताव रखे जा चुके हैं।लोक सभा में सबसे पहला अविश्वास प्रस्ताव अगस्त 1963 में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की सरकार के खिलाफ जे बी कृपलानी ने पेश किया था। लेकिन विपक्ष सरकार गिराने में नाकाम हो गया था, क्योंकि इस प्रस्ताव के पक्ष में केवल 62 वोट पड़े और विरोध में 347 वोट पड़े थे।लेकिन सन 1978 में लाये गए अविश्वास प्रस्ताव ने मोरारजी देसाई सरकार को गिरा दिया था।अब तक सबसे ज्यादा 4 बार अविश्वास प्रस्ताव पेश करने का रिकॉर्ड माकपा सांसद ज्योतिर्मय बसु के नाम है। उन्होंने अपने चारों प्रस्ताव इंदिरा गांधी सरकार के खिलाफ रखे थे।सबसे ज्यादा अविश्वास प्रस्ताव का सामना करने वाली भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सरकार रही है। इंदिरा गांधी सरकार के खिलाफ 15 अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गये थे।इसके अलावा पी? वी? नरसिम्हा राव और लाल बहादुर शास्त्री की सरकारों ने तीन-तीन बार अविश्वास प्रस्ताव का सामना किया था।पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने एक बार इंदिरा गाँधी सरकार और दूसरी बार पी? वी? नरसिम्हा राव सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया था ।संयोग की बात है कि अटल सरकार के खिलाफ भी दो बार सन1996 व सन1998 अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया था और वे दोनों बार हार गये थे।सन

2018 में नरेंद्र मोदी सरकार के विरुद्ध भी अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था,लेकिन यह प्रस्ताव गिर गया था।

लोकसभाध्यक्ष ओम बिरला पर आरोप हैं कि वो विपक्ष के साथ भेदभाव करते हैं और सांसदों को बोलने का मौका कम देते हैं।हालांकि ये पहली बार नहीं है, जब किसी लोकसभाध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा हो। संसद के इतिहास में कई बार ऐसा हो चुका है।

अविश्वास प्रस्ताव भारतीय संसदीय परंपरा का ही एक हिस्सा है। जब भी विपक्ष को सरकार या फिर लोकसभाध्यक्ष पर भरोसा नहीं होता है तो उन्हें हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। लोकसभाध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव संविधान के अनुच्छेद 94(सी) के तहत लाया जाता है, इसे मोशन ऑफ रिमूवल कहा जाता है।इसके तहत लोकसभा के अध्यक्ष को हटाया जा सकता है। वोटिंग में बहुमत मिलने पर अध्यक्ष को हटाने की प्रक्रिया शुरू हो सकती है।भारतीय संसद के इतिहास में पहली बार सन1954 में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। लोकसभा के पहले अध्यक्ष मावलंकर के खिलाफ ये प्रस्ताव लाया गया था। सोशलिस्ट पार्टी के नेता विग्नेश्वर मिसिर ये प्रस्ताव लाए थे।इस प्रस्ताव पर करीब दो घंटे तक चर्चा हुई थी, हालांकि बाद में उसे खारिज कर दिया गया। इस प्रस्ताव को जवाहर लाल नेहरू ने सदन की गरिमा का सवाल बताया था।

सन1954 के बाद लोकसभाध्यक्ष के खिलाफ दूसरा प्रस्ताव सन 1966 में लाया गया।लोकसभा अध्यक्ष सरदार हुकम सिंह के खिलाफ ये प्रस्ताव था।वहीं तीसरी बार सन1987 में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, ये प्रस्ताव तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष बलराम जाखड़ के खिलाफ लाया गया था।पिछले तमाम प्रस्तावों की तरह ये अविश्वास प्रस्ताव भी खारिज हो गया था।अब देखना यह है कि यह अविश्वास प्रस्ताव कितना चल पाता है।

इससे लोकसभाध्यक्ष की कुर्सी जाती है या फिर यह प्रस्ताव धड़ाम गिरता है।फिलहाल तो संख्या बल देखते हुए ऐसा नही लगता कि ओम बिरला की कुर्सी जाएगी,बाकी आने वाला वक्त बताएगा।

अमेरिका की 74 फ़ीसद आबादी पर रोज़ी-रोटी का संकट

सनत जैन

पूंजीवादी देश अमेरिका जो दुनिया के देशों को समृद्धि और लोकतंत्र का पाठ पढ़ाता है वह अपने ही नागरिकों को दो टाइम का भोजन नहीं दे पा रहा है। अमेरिका का मध्यम वर्ग गरीब हो रहा है। सारी दुनिया में अमेरिका की जो तस्वीर दिखाई जाती है, ठीक उसके विपरीत हालिया सर्वे मे एक ऐसी तस्वीर सामने आई है, जिसने अमेरिका की कलई खोल कर रख दी है। आमतौर पर चमकदार इमारतों, शेयर बाज़ार और वैश्विक ताक़त की आड़ में अमेरिका अपनी वास्तविकता को छिपा देता है। सर्वे के अनुसार अमेरिका की करीब 74 प्रतिशत आबादी रोज़ी-रोटी के गंभीर संकट से जूझ रही है। यह संकट केवल गरीबों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि मिडिल क्लास और युवा वर्ग पर इसकी सबसे बड़ी मार पड़ी है। अमेरिका में हालात ये हैं, लोग बिजली, गैस, पानी जैसी बुनियादी जरूरत के मासिक बिल तक अदा नहीं कर पा रहे हैं। किराना, किराया और स्वास्थ्य खर्च लगातार बढ़ते जा रहे हैं। सर्वे के अनुसार 10 में से 9 अमेरिकी मानते हैं, पूरा अमेरिका 'कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस' में फंस गया है। सर्वे में 10 में से 8 लोगों ने माना है, पिछले एक साल में महंगाई तेजी के साथ बढ़ी है। जिसके कारण उनका नियमित जीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। पिछले 1 साल में जिस तरह से सरकार की नीतियां हैं, उसने आम आदमी का जीवन दूभर कर दिया है। सबसे चिंताजनक स्थिति अमेरिका मे युवाओं की है। महंगाई और बेरोजगारी के चलते युवा वर्ग में गुस्सा, असंतोष और निराशा तेज़ी से बढ़ती जा रही है। अमेरिका का मध्यम वर्ग टैक्स रिफंड से जो राशि मिलती थी उसका उपयोग छुट्टियों, मनोरंजन या ख़रीदारी के लिए करता था। अब टैक्स रिफंड से जो राशि मिलती है, उसका उपयोग पेट भरने और कर्ज़ चुकाने के लिए करना पड़ रहा है। सर्वे के अनुसार 73 प्रतिशत लोगों ने माना है, टैक्स रिफंड अब जीवन यापन के लिए ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। 60 प्रतिशत लोगों ने रिफंड जल्दी देने की बात कही है। टैक्स रिफंड में देरी होने से खर्च चलाना मुश्किल हो जाता है। जेन-जी के लिए यह संकट और भी गहरा है। करीब 74 प्रतिशत युवा रिफंड नहीं मिलने पर आपात ज़रूरतें भी पूरा नहीं कर पा रहे हैं।

अमेरिका के इस आर्थिक दबाव का सीधा असर सभी वर्गों पर देखने को मिल रहा है। अमेरिका से आंतरिक पलायन शुरू हो गया है। लोग एक शहर से दूसरे शहर, एक राज्य से दूसरे राज्य यहां तक कि यूरोपीय देशों में भाग रहे हैं। जहां वह वर्षों से रह रहे थे, वहां अब उनका गुज़ारा संभव नहीं हो पा रहा। सर्वे बताता है कि जेन-जी के लगभग 50 प्रतिशत युवा तथा कुल आबादी के 38 प्रतिशत अमेरिकी नागरिक आर्थिक कारणों से ठिकाना बदल चुके हैं। यह पलायन की स्थिति उन्हें जड़ों से काटने की प्रक्रिया मानी जा रही है। विडंबना यह है, जिन राज्यों को 'अफोर्डेबल अमेरिका' कहा जाता है, उनमे मिसिसिपी, अलबामा और ओक्लाहोमा के 60 प्रतिशत लोग मानते हैं। वह किसी तरह से अपना खर्च चला पा रहे हैं। अमेरिका के सबसे सस्ते राज्यों की बड़ी आबादी आर्थिक संकट से जूझ रही है। यह स्थिति इस बात का सूचक है कि अमेरिका गहरे आर्थिक संकट में फंस गया है। पिछले एक साल में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा जिस तरह के निर्णय लिए जा रहे हैं, उसके बाद अमेरिका में बदहाली बढ़ती जा रही है। इसका असर सामाजिक स्तर पर बड़े पैमाने पर दिखने लगा है। युवाओं को अपना भविष्य अंधकार में दिख रहा है। इससे उनमें गुस्सा, नशा और सामाजिक तनाव बढ़ रहा है। अमेरिका में युवाओं की बहुत बड़ी संख्या अब अपराध की ओर भी जाती हुई दिख रही है। यह वही अमेरिका है, जहां सड़कों पर समृद्धि दिखती है। पूंजीवादियों के ऐशो आराम और अय्याशी को देखकर लगता है, अमेरिका बहुत धनवान है। अमेरिका में रहने वाले लोग बहुत प्रसन्न हैं, लेकिन अमेरिका की स्थिति ठीक इसके विपरीत है। नागरिकों के मन में असुरक्षा और भय पनप रहा है। अमेरिका एक ऐसे मोड़ पर आकर खड़ा हो गया है, जहां उसकी चमकदार छवि और ज़मीनी हकीकत के बीच की खाई गहरी होती जा रही है। अमेरिका में 74 प्रतिशत आबादी के सामने रोज़ी-रोटी का संकट होना अमेरिका के लिए गंभीर चेतावनी है। अमेरिका खुद को दुनिया का नेतृत्वकर्ता मानता है, लेकिन अमेरिका लगातार कर्ज के संकट में फंसता चला जा रहा है।

सदन ठप, सवाल अनुत्तरित लोकतंतकी कसौटी पर कांग्रेस का रवैया

कांतिलाल मांडोत

संसद का बजट सत्र देश की आर्थिक दिशा तय करने का सबसे महत्वपूर्ण मंच होता है, लेकिन जब यही मंच हंगामे, नारेबाजी और रणनीतिक अवरोध का अखाड़ा बन जाए, तो सवाल सिर्फ कार्यवाही के ठप होने का नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक जिम्मेदारी के क्षरण का भी उठता है। हालिया घटनाक्रम में लोकसभा स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस, प्रश्नकाल का बार-बार स्थगन और विपक्ष का निरंतर विरोध, इसी चिंता को गहरा करता है। इस पूरे परिदृश्य में कांग्रेस की भूमिका पर गंभीर आत्ममंथन की जरूरत है।

लोकसभा में विपक्ष का अधिकार बहस करना, सवाल उठाना और सरकार को जवाबदेह ठहराना है। यह अधिकार संविधान और संसदीय परंपराओं से सुरक्षित है। लेकिन जब यह अधिकार सदन को चलने ही न देने की जिद में बदल जाए, तो वह लोकतंत्र की मजबूती के बजाय उसकी कमजोरी का संकेत बन जाता है। बजट सत्र के लगातार दिनों तक बाधित रहने से आम जनता के मुद्दे, आर्थिक नीतियों पर चर्चा और विकास से जुड़े सवाल पीछे छूट जाते हैं। कांग्रेस, जो स्वयं को लोकतंत्र की प्रहरी बताती है, यदि उसी लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बाधित करती दिखे, तो उसकी विश्वसनीयता पर प्रश्नचिह्न लगना स्वाभाविक है। लोकसभा स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाना कोई असाधारण बात नहीं है। संसदीय इतिहास में यह प्रक्रिया पहले भी अपनाई गई है। लेकिन इस कदम का औचित्य तभी बनता है, जब यह संसदीय मर्यादा और ठोस तर्कों के साथ उठाया जाए। मौजूदा मामले में विपक्ष का आरोप है कि स्पीकर पक्षपातपूर्ण रवैया अपना रहे हैं और विपक्षी नेताओं को बोलने नहीं दिया जा रहा। यदि यह सच है, तो इसका समाधान भी संसदीय संवाद और नियमों के तहत होना चाहिए। सदन के भीतर नारेबाजी, वेल में आकर हंगामा और बार-बार कार्यवाही ठप कराना, किसी भी तरह से समाधान नहीं है।

कांग्रेस का रवैया यहां विरोध से अधिक टकराव का नजर आता है। राहुल गांधी को बोलने देने की मांग को लेकर पूरा सत्र बाधित करना, जबकि देश की आर्थिक नीतियों पर चर्चा लंबित हो, यह दर्शाता है कि पार्टी प्राथमिकताओं को लेकर भ्रमित है। लोकतंत्र में व्यक्ति से बड़ा संस्थान होता है। संसद किसी एक नेता का मंच नहीं, बल्कि 140 करोड़ नागरिकों की आवाज का प्रतिनिधि सदन है। यदि किसी नेता को बोलने में आपत्ति है, तो उसके लिए नियम, अध्यक्ष और संसदीय समितियां मौजूद हैं। सत्र को ही ठप कर देना, लोकतांत्रिक दबाव नहीं, बल्कि राजनीतिक हठधर्मिता है।

कांग्रेस का इतिहास बताता है कि जब वह सत्ता में रही, तब विपक्ष की आवाज को दबाने के आरोप उस पर भी लगे। ऐसे में आज नैतिक ऊंचाई का दावा करना, बिना आत्मालोचना के, खोखला लगता है। संसदीय परंपराएं दोतरफा जिम्मेदारी मांगती हैं। सरकार को विपक्ष की बात सुननी चाहिए, लेकिन विपक्ष का भी कर्तव्य है कि वह सदन की गरिमा बनाए रखे। हाथ जोड़कर बजट पर चर्चा की अपील करना किसी मंत्री की कमजोरी नहीं, बल्कि संसदीय परंपरा को बचाने का प्रयास है। इसके बावजूद हंगामा जारी रहना, कांग्रेस की नकारात्मक राजनीति को उजागर करता है। स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को लेकर भी कांग्रेस की रणनीति अस्पष्ट दिखती है। एक ओर प्रस्ताव का नोटिस दिया जाता है, दूसरी ओर प्रमुख नेता खुद उस पर हस्ताक्षर नहीं करते। यह दोहरा संदेश पार्टी की आंतरिक असमंजस को दर्शाता है। यदि स्पीकर सचमुच पक्षपात कर रहे हैं, तो पार्टी को एकजुट और स्पष्ट रुख अपनाना चाहिए था। लेकिन यहां यह कदम अधिक प्रतीकात्मक विरोध जैसा प्रतीत होता है, जिसका उद्देश्य समाधान नहीं, बल्कि राजनीतिक दबाव बनाना है।

संसद में महिला सांसदों के साथ हुई घटनाओं, बैनर और पोस्टर की राजनीति, और पुस्तक विवाद जैसे मुद्दों को जिस तरह तूल दिया गया, उसने मूल प्रश्नों को हाशिए पर धकेल दिया। देश महंगाई, रोजगार, वैश्विक व्यापार और सुरक्षा जैसे मुद्दों पर स्पष्ट बहस चाहता है। लेकिन कांग्रेस का फोकस बार-बार ऐसे विवादों पर रहा, जिनसे सदन का समय नष्ट हुआ। यह रवैया न तो विपक्ष की परिपक्वता दिखाता है और न ही लोकतंत्र के प्रति प्रतिबद्धता।

लोकतंत्र में विरोध जरूरी है, लेकिन रचनात्मक विरोध उससे भी अधिक जरूरी है। कांग्रेस यदि सचमुच जनता की आवाज बनना चाहती है, तो उसे सड़क की राजनीति को संसद के भीतर दोहराने से बचना होगा। संसद संवाद का मंच है, संघर्ष का नहीं। यहां तर्क, तथ्य और नीति से सरकार को घेरा जाता है, न कि शोर और अवरोध से। हर बार सदन ठप कर देना आसान रास्ता हो सकता है, लेकिन इससे न तो जनता का भरोसा बढ़ता है और न ही लोकतांत्रिक संस्थाएं मजबूत होती हैं।

अंततः सवाल यह नहीं है कि कौन जीता या हारा, बल्कि यह है कि संसद चली या नहीं। बजट सत्र का समय अमूल्य होता है। इसे बाधित कर कांग्रेस ने न सिर्फ सरकार को, बल्कि देश को नुकसान पहुंचाया है। लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका सत्ता को असहज करना नहीं, बल्कि उसे जवाबदेह बनाना है। इसके लिए सदन का चलना अनिवार्य है। यदि कांग्रेस इस मूल सिद्धांत को नहीं समझती, तो उसका विरोध लोकतांत्रिक नहीं, बल्कि अवरोधकारी राजनीति के रूप में ही देखा जाएगा।

(रु 103 जलवन्त टाऊनशिप पूणा बॉम्बे मार्केट रोड, नियर नन्दालय हवेली सूरत मो -99749 40324 वरिष्ठ पत्रकार साहित्ययकार स्तम्भकार)

उत्तराखण्ड के दोनों मंडलों में बनेंगे ओबीसी कल्याण के बहुउद्देशीय भवन

पथ प्रवाह, देहरादून। उत्तराखण्ड राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के सामाजिक, शैक्षणिक और प्रशासनिक सशक्तिकरण की दिशा में राज्य सरकार ने एक अहम कदम उठाया है। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के दोनों मंडलों में उत्तराखण्ड अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण बहुउद्देशीय भवन/सामुदायिक भवन के निर्माण को सैद्धांतिक सहमति प्रदान कर दी है।

मंगलवार को सचिवालय में आयोजित उत्तराखण्ड अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के कार्यों की समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इन भवनों के निर्माण कार्य को प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाया जाए। उन्होंने कहा कि यह भवन ओबीसी वर्ग के लिए सामाजिक एवं प्रशासनिक गतिविधियों का महत्वपूर्ण केंद्र बनेंगे।

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि प्रस्तावित बहुउद्देशीय भवनों में बैंकट हॉल, गेस्ट हाउस, सभागार, प्रशिक्षण कक्ष, बैठक कक्ष सहित अन्य आवश्यक सुविधाओं का समावेश किया जाए, ताकि विभिन्न सामाजिक, शैक्षिक, प्रशिक्षण एवं सरकारी कार्यक्रमों का सुचारु संचालन किया जा सके। उन्होंने भवनों की डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) शीघ्र तैयार कर प्रस्तुत करने के भी निर्देश दिए। बैठक में मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि ओबीसी बाहुल्य क्षेत्रों में राज्य सरकार द्वारा संचालित जनकल्याणकारी योजनाओं का व्यापक स्तर पर प्रचार-प्रसार किया जाए। पात्र लाभार्थियों को योजनाओं से जोड़ने के लिए विशेष अभियान चलाने पर बल देते हुए उन्होंने विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए नियमित समीक्षा की जाए और लाभार्थियों से प्राप्त फीडबैक के आधार पर आवश्यक सुधार सुनिश्चित किए जाएं, ताकि योजनाओं का वास्तविक लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच सके।

उन्होंने दोहराया कि राज्य सरकार समाज के सभी वर्गों के समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध है और ओबीसी वर्ग के उत्थान हेतु शिक्षा, कौशल विकास, स्वरोजगार एवं सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी योजनाओं को विशेष प्राथमिकता दी जा रही है।

बैठक में उत्तराखण्ड अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष संजय नेगी, प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु, सचिव श्रीधर बाबू अदांकी, अपर सचिव नवनीत पांडे, अपर सचिव संदीप तिवारी सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

छात्रों व अधिकारियों को साइबर स्वच्छता और सुरक्षित डिजिटल व्यवहार की दी जानकारी

पथ प्रवाह, पौड़ी। सुरक्षित इंटरनेट दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) के तत्वावधान में कलेक्ट्रेट सभागार में सुरक्षित इंटरनेट दिवस कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में इंटरनेट और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के सुरक्षित व जिम्मेदार उपयोग को बढ़ावा देना तथा साइबर सुरक्षा के प्रति जागरुकता को लेकर विस्तृत चर्चा की गयी। कार्यशाला में प्रभारी जिला सूचना विज्ञान अधिकारी हेमंत काला ने प्रतिभागियों को इंटरनेट के सुरक्षित उपयोग, साइबर स्वच्छता अपनाने तथा प्रमुख साइबर खतरों और उनके बचाव के उपायों की विस्तृत जानकारी दी। साथ ही उन्होंने फिशिंग, ओटीपी/यूपीआई धोखाधड़ी, हानिकारक सॉफ्टवेयर व जासूसी सॉफ्टवेयर, डीपफेक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित आवाज़ की ठगी तथा निवेश संबंधी धोखाधड़ी जैसे मामलों के प्रति सतर्क रहने को कहा। उन्होंने डिजिटल अरेस्ट की अवधारणा पर भी जानकारी देते हुए बताया कि साइबर अपराधी कई बार खुद को पुलिस या अन्य एजेंसी बताकर लोगों को डराकर पैसे ऐंठने का प्रयास करते हैं। ऐसे मामलों में किसी भी दबाव में न आने और तुरंत सत्यापन करने की सलाह दी। उन्होंने मजबूत पासवर्ड रखने, बहु-स्तरीय सत्यापन अपनाने, निजी जानकारी की गोपनीयता बनाए रखने, किसी के साथ ओटीपी साझा न करने तथा संदिग्ध लिंक या संदेशों से बचने को भी कहा। साथ ही बताया कि किसी भी साइबर अपराध की स्थिति में तुरंत साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर संपर्क कर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा भी सूचना सुरक्षा शिक्षा एवं जागरुकता परियोजना के अंतर्गत एनआईसी एवं अन्य एजेंसियों के सहयोग से राष्ट्रीय स्तर पर भी यह जागरूकता अभियान आयोजित किया जा रहा है। कार्यशाला में जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक रणजीत सिंह नेगी, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी कुसुम तड़ियाल, नायब तहसीलदार पूरण प्रकाश रावत, जिला खेल समन्वयक योगम्बर सिंह नेगी सहित कलेक्ट्रेट के अधिकारी, शिक्षकगण तथा बड़ी संख्या में विद्यालयी छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे।

किल्बौखाल न्याय पंचायत में लगा बहुउद्देशीय शिविर, 55 शिकायतें दर्ज, 49 का निस्तारण

पथ प्रवाह, पौड़ी। जन जन की सरकार, जन-जन के द्वार अभियान के तहत विकासखंड रिखणीखाल की न्याय पंचायत किल्बौखाल में बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में कुल 55 शिकायतें दर्ज हुईं, जिनमें से 49 शिकायतों का निस्तारण मौके पर ही कर दिया गया। वहीं 138 पात्र लाभार्थियों को विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ भी दिया गया।

शिविर की अध्यक्षता उपजिलाधिकारी शालिनी मौर्य ने की। उन्होंने शिविर में पहुंचे ग्रामीणों की समस्याएं गंभीरता से सुनीं और कई मामलों का समाधान मौके पर ही कराया। शेष शिकायतों के निस्तारण के लिए संबंधित विभागों के अधिकारियों को शीघ्र कार्रवाई के निर्देश दिए। उपजिलाधिकारी ने कहा कि प्रदेश सरकार की इस पहल से आम जनमानस को एक ही स्थान पर विभागीय सेवाएं एवं योजनाओं का लाभ मिल रहा है। उन्होंने ग्रामीणों से अपील की कि वे अधिक से अधिक संख्या में इन शिविरों में प्रतिभाग कर अपनी समस्याओं का समाधान कराएं और योजनाओं का लाभ लें।

भरण-पोषण आदेश की अवहेलना पर डीएम का सख्त रुख, बेटे की 1.50 लाख की आरसी जारी

पथ प्रवाह, देहरादून

जिला प्रशासन ने वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों की अनदेखी और न्यायालयीय आदेशों की अवमानना को गंभीरता से लेते हुए कड़ा कदम उठाया है। भरण-पोषण अधिनियम के तहत पारित आदेशों की अवहेलना करने पर जिलाधिकारी सविन बंसल ने एक पुत्र के विरुद्ध 1.50 लाख की रिकवरी सर्टिफिकेट (आरसी) जारी करने के निर्देश दिए हैं।

मामला विगत जनदर्शन कार्यक्रम में सामने आया, जहां 68 वर्षीय बीमार बुजुर्ग पिता अशोक धवन ने जिलाधिकारी से गुहार लगाई। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके पुत्रों द्वारा उनके साथ मारपीट, गाली-गलौच एवं निरंतर उत्पीड़न किया जा रहा है, साथ ही उन्हें संपत्ति से बेदखल कर घर से बाहर निकाल दिया गया है। पीड़ित ने यह भी शिकायत की कि एसडीएम न्यायालय द्वारा वर्ष 2023 एवं जुलाई 2025 में पारित भरण-पोषण आदेशों के बावजूद उन्हें आज तक निर्धारित धनराशि नहीं दी गई।

बुजुर्ग पिता ने अपने प्रार्थना पत्र में बताया कि 23 सितंबर 2023 को एसडीएम, देहरादून द्वारा उनके पुत्र नितिन धवन को प्रतिमाह 4,000 भरण-पोषण राशि देने का आदेश पारित किया गया था, जिसका पालन नहीं किया गया। इसके बाद 5 जुलाई 2025 को उपजिलाधिकारी द्वारा भरण-पोषण राशि बढ़ाकर 10,000 प्रतिमाह किए जाने के साथ-साथ यह भी निर्देश दिए गए थे कि प्रार्थी की संपत्ति पर कोई अवैध कब्जा न किया जाए और उनके साथ किसी प्रकार का दुर्व्यवहार न हो। आरोप है कि इन स्पष्ट आदेशों के बावजूद पुत्र द्वारा न तो धनराशि दी गई और न ही उत्पीड़न रोका गया।

शिकायत के अनुसार, संबंधित पुत्र नितिन धवन लगभग 6 लाख प्रतिमाह वेतन प्राप्त करता है, इसके बावजूद वह भरण-पोषण राशि देने से लगातार इंकार करता रहा। धनराशि की मांग करने पर बुजुर्ग पिता के साथ कथित रूप से गाली-गलौच एवं मारपीट की गई।

मामले का संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी सविन बंसल ने बकाया भरण-पोषण राशि की वसूली के लिए 1.50 लाख की आरसी जारी करने के निर्देश दिए, ताकि पीड़ित वरिष्ठ नागरिक को त्वरित न्याय मिल सके। जिलाधिकारी ने कहा कि वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों की अनदेखी तथा न्यायालयीय आदेशों की अवहेलना किसी भी स्थिति में क्षम्य नहीं होगी। ऐसा करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि पीड़ित बुजुर्ग की जान-माल की सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं, ताकि भविष्य में उनके साथ किसी भी प्रकार का उत्पीड़न न हो। जिला प्रशासन ने इस कार्रवाई के माध्यम से स्पष्ट संदेश दिया है कि वरिष्ठ नागरिकों के सम्मान, सुरक्षा और अधिकारों से किसी भी स्तर पर समझौता नहीं किया जाएगा।

उत्तराखण्ड में हवाई कनेक्टिविटी को विस्तार, आदि कैलाश-नाभिडांग-जॉलीकांग को जोड़ने की कार्ययोजना के निर्देश

पथ प्रवाह, देहरादून

उत्तराखण्ड में हवाई संपर्क को सुदृढ़ कर पर्यटन और क्षेत्रीय विकास को गति देने के उद्देश्य से मंगलवार को सचिवालय में मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन की अध्यक्षता में उत्तराखण्ड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण की उत्तराखण्ड एयर कनेक्टिविटी स्कीम के संबंध में महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने अधिकारियों से प्रदेश में वर्तमान हवाई कनेक्टिविटी की अद्यतन स्थिति की विस्तृत जानकारी प्राप्त की।

मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आदि कैलाश, नाभिडांग और जॉलीकांग जैसे सामरिक एवं धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्रों को हवाई सेवा से जोड़ने के लिए शीघ्र कार्ययोजना तैयार की जाए। उन्होंने सहस्त्रधारा से पूर्णागिरी के लिए भी हवाई सेवा जल्द प्रारंभ करने के निर्देश देते हुए कहा कि इससे धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और दुर्गम क्षेत्रों की सुगम पहुंच सुनिश्चित होगी।

मुख्य सचिव ने कहा कि प्रदेश में हवाई संपर्क बढ़ाने की व्यापक संभावनाएं मौजूद हैं, जिन्हें तलाशने के लिए निरंतर प्रयास किए जाएं। उन्होंने पर्यटन सर्किट के समग्र विकास को ध्यान में रखते हुए राज्य में हेलिपैड और हेलीपोर्ट सुविधाओं के विस्तार पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि हवाई कनेक्टिविटी के विस्तार से न केवल पर्यटन को बल मिलेगा बल्कि स्थानीय लोगों को भी आवागमन में सुविधा प्राप्त होगी। बैठक में सचिव सचिन कुर्वे ने बताया कि प्रदेश में नए हेलिपैड और हेलीपोर्ट विकसित करने की दिशा में लगातार कार्य किया जा रहा है। उन्होंने जानकारी दी कि शीघ्र ही नैनीसैनी एयरपोर्ट को एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एएआई) को हैंडओवर किया जाएगा, जिससे वहां से हवाई सेवाओं के विस्तार का मार्ग प्रशस्त होगा। बैठक में अपर सचिव आशीष चौहान सहित नागरिक उड्डयन से जुड़े अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे।

जिलाधिकारी ने 35 हजार का पेयजल बिल किया 14 हजार, स्वयं कराया भुगतान

पथ प्रवाह, देहरादून

मुख्यमंत्री पुष्कर धामी की प्रेरणा से आमजन की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए जिला प्रशासन द्वारा संचालित जनता दर्शन कार्यक्रम जनसमस्याओं के निस्तारण का प्रभावी और भरोसेमंद माध्यम बनकर उभरा है। कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी सविन बंसल की अध्यक्षता में आयोजित जनता दर्शन में बड़ी संख्या में फरियादी अपनी समस्याएं लेकर पहुंच रहे हैं, जिनका संवेदनशीलता और तत्परता के साथ समाधान किया जा रहा है। इससे सरकार और जिला प्रशासन की कार्यशैली पर जनमानस का विश्वास लगातार मजबूत हो रहा है।

सहस्त्रधारा निवासी बुजुर्ग महिला हरदीप कौर ने जिलाधिकारी के समक्ष अपनी व्यथा रखते हुए बताया कि उनका पेयजल बिल लगभग 35,000 आ गया है, जिसे चुकाने की उनकी आर्थिक स्थिति नहीं है। उन्होंने बताया कि वह घर में अकेली रहती हैं, आय का कोई स्थायी साधन नहीं है और अस्वस्थता के चलते नियमित उपचार भी चल रहा है, ऐसे में इतना बड़ा बिल भरना उनके लिए संभव नहीं है। बुजुर्ग महिला ने यह भी बताया कि कुछ वर्ष पूर्व उन्होंने जल कनेक्शन काटने के लिए अनुरोध किया था। इस दौरान कुछ लोग उनके घर आए और 5,000 लेकर चले गए, लेकिन न तो कनेक्शन काटा गया और न ही कोई वैध कार्रवाई हुई। बाद में जब वह संबंधित कार्यालय पहुंचीं तो जानकारी मिली कि ऐसे किसी कर्मचारी की वहां तैनाती ही नहीं है। इस प्रकार वह ठगी का भी शिकार हुई, जिससे उनकी परेशानी और बढ़ गई।

बुजुर्ग महिला की पीड़ा को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी सविन बंसल ने तत्काल जल संस्थान से पूरे प्रकरण की रिपोर्ट तलब की और त्वरित समाधान के निर्देश दिए। जल संस्थान द्वारा जांच के उपरांत 27 माह से लंबित 35,000 के पेयजल बिल को संशोधित करते हुए 14,372 में सेटल किया गया। जिलाधिकारी ने बुजुर्ग एवं बीमार महिला की कमजोर आर्थिक स्थिति को देखते हुए मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए उक्त 14,372 की धनराशि राइफल फंड से भुगतान करने के निर्देश दिए। प्रशासन द्वारा यह राशि चेक के माध्यम से जल संस्थान को उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे बुजुर्ग महिला को तत्काल आर्थिक राहत मिल सके और उनके ऊपर किसी प्रकार का अतिरिक्त बोझ न पड़े।

जिलाधिकारी ने संबंधित विभागों को स्पष्ट निर्देश दिए कि भविष्य में वरिष्ठ नागरिकों से जुड़े मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित किया जाए और ऐसे प्रकरणों में विशेष संवेदनशीलता बरती जाए। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन जरूरतमंद, असहाय और बुजुर्ग नागरिकों की समस्याओं के समाधान के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

एक नजर

डीएम प्रशांत आर्य ने लापरवाह अधिकारियों और कर्मचारियों को लगाई कड़ी फटकार

पथ प्रवाह, उत्तरकाशी। जिलाधिकारी प्रशान्त आर्य ने मंगलवार सांय विकास भवन में संचालित विभिन्न विभागों का औचक निरीक्षण किया। जिलाधिकारी के औचक निरीक्षण में अधिकारियों में हड़कंप मच गया। निरीक्षण के दौरान कई विभागों के अधिकारी और कर्मचारी निर्धारित समय के बाद भी कार्यालय में उपस्थित नहीं पाए गए। जिलाधिकारी ने अनुपस्थित सभी कार्मिकों का स्पष्टीकरण लेने के कड़े निर्देश दिए। निरीक्षण के बाद जिलाधिकारी ने सभी विभागों की गहनता से समीक्षा की। जिलाधिकारी ने पंचायती राज विभाग और सहकारिता विभाग के अधिकारियों को कार्य की विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के कड़े निर्देश दिए। तथा संचालित कार्यों की जानकारी नही होने और संतोषजनक उत्तर नही देने पर नियमानुसार कार्यवाही करने की चेतावनी दी। जिलाधिकारी ने अनुपस्थित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। सहकारिता विभाग की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने अमीनो की कारगुज़ारी की प्रगति पर कड़ी नाराज़गी जताई और तियां सहकारी समिति के तहत निर्माणाधीन गोदाम और केंद्रीय उपभोक्ता भंडार में प्रस्तावित पुस्तकालय की विस्तृत रिपोर्ट प्रतुत करने के निर्देश दिए। तथा रिपोर्ट उपलब्ध नहीं कराने तक सम्बंधित का वेतन आहरण पर रोक लगाने के निर्देश दिये। समाज कल्याण विभाग की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने छात्रवृत्ति, पेंशन सहित अन्य योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने सख्त निर्देश दिए कि कोई भी पात्र छात्र छात्रवृत्ति से वंचित न रहे। जिलाधिकारी ने पशुपालन विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की और वितीय प्रगति जानी। जिलाधिकारी ने विकास भवन में आरडब्ल्यूडी द्वारा किए जा रहे मम्मतीकरण कार्यों का भी निरीक्षण किया और तय समय के भीतर गुणवत्तापूर्ण निर्माण कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने महिला बाल विकास विभाग की एकल महिला स्वरोजगार योजना से संबंधित पत्रावली को तत्काल उपलब्ध कराने के निर्देश जिला कार्यक्रम अधिकारी को दिए। जिलाधिकारी विकास भवन में संचालित सभी विभागों को स्वच्छता का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए। साथ ही परिसर की स्वच्छता और बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली को अनिवार्य रूप से प्रभावी बनाने के निर्देश देते हुए कहा कि शासन की मंशा के अनुरूप कार्य न करने वाले अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी और इस प्रकार के औचक निरीक्षण भविष्य में भी जारी रहेंगे। निरीक्षण में परियोजना निदेशक डीआरडीए अजय सिंह उपस्थित रहे।

लक्सर पुलिस ने प्रतिबंधित नशीले इंजेक्शन की खेप के साथ तस्कर किया गिरफ्तार

पथ प्रवाह, हरिद्वार। नशा मुक्त देवभूमि अभियान को प्रभावी बनाने की दिशा में लक्सर कोतवाली पुलिस ने एक और अहम सफलता हासिल की है। अभियान के तहत चल रही सघन चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक युवक को प्रतिबंधित नशीले इंजेक्शन की बड़ी खेप के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से कुल 139 प्रतिबंधित ट्रामाडोल एवं डाइक्लोवीन के इंजेक्शन बरामद किए हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार, वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के निर्देश पर लक्सर क्षेत्र में नशा तस्करों के विरुद्ध विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में चेकिंग के दौरान पुलिस टीम ने एक संदिग्ध युवक को रोका और उसकी तलाशी ली। तलाशी के दौरान उसके पास से प्रतिबंधित श्रेणी में आने वाले ट्रामाडोल और डाइक्लोवीन के इंजेक्शन बरामद हुए।

पुलिस ने मौके पर ही आरोपी को गिरफ्तार कर उसके विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। गिरफ्तार किए गए आरोपी की पहचान अकरम पुत्र अहसान, निवासी पटवारी मोहल्ला, सुल्तानपुर, थाना लक्सर, जनपद हरिद्वार के रूप में हुई है, जिसकी उम्र लगभग 24 वर्ष बताई गई है। पुलिस द्वारा आरोपी का चालान कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है।

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि नशा तस्करी के खिलाफ अभियान आगे भी इसी तरह सख्ती से जारी रहेगा, ताकि क्षेत्र को नशा मुक्त बनाया जा सके और युवाओं को नशे की गिरफ्त से बचाया जा सके।

एनआईसी उत्तराखंड ने 'सेफर इंटरनेट डे-2026' पर चलाया व्यापक साइबर जागरूकता अभियान

पथ प्रवाह, देहरादून।

राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एन.आई.सी.) उत्तराखंड द्वारा विद्यालयी शिक्षा निदेशालय के सहयोग से 10 फरवरी 2026 को 'सेफर इंटरनेट डे-2026' के अवसर पर राज्यभर में व्यापक साइबर जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस अभियान के तहत देहरादून सहित विभिन्न राजकीय विद्यालयों में कार्यशालाएं आयोजित की गईं, जिनका उद्देश्य विद्यार्थियों, शिक्षकों और आम नागरिकों को साइबर अपराधों से सतर्क करना तथा सुरक्षित व जिम्मेदार इंटरनेट उपयोग के प्रति जागरूकता फैलाना रहा। कार्यक्रम के दौरान राज्य सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) के अधिकारियों एवं विशेषज्ञों ने प्रतिभागियों को साइबर क्राइम, ऑनलाइन फ्रॉड, फिशिंग, बैंकिंग धोखाधड़ी, साइबर बुलिंग, व्यक्तिगत डेटा की गोपनीयता और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (ए.आई.) के दुरुपयोग, विशेषकर डीपफेक जैसी नई चुनौतियों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि वर्तमान डिजिटल युग में स्वयं के साथ-साथ परिवार और समाज को भी साइबर खतरों के प्रति सजग करना अत्यंत आवश्यक है। उल्लेखनीय है कि भारत सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष फरवरी माह के द्वितीय मंगलवार को 'सेफर इंटरनेट डे' मनाया जाता है। यह एक अंतरराष्ट्रीय जागरूकता अभियान है, जिसका उद्देश्य बच्चों, युवाओं, महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों के लिए डिजिटल दुनिया को अधिक

सुरक्षित, सकारात्मक और भरोसेमंद बनाना है। वर्ष 2026 में यह दिवस 'स्मार्ट तकनीक, सुरक्षित विकल्पः ए.आई. के सुरक्षित और जिम्मेदार उपयोग' थीम पर केंद्रित रहा।

इस अवसर पर देहरादून स्थित राजकीय बालिका इंटर कॉलेज, राजपुर रोड तथा राजकीय इंटर कॉलेज, रायपुर में प्रत्यक्ष रूप से लगभग 200 प्रतिभागियों ने भाग लिया। इसके साथ ही वर्चुअल माध्यम से राज्य के 1100 से अधिक विद्यालयों के लगभग 30,000 विद्यार्थियों ने सहभागिता की। इसके अतिरिक्त 200 से अधिक स्थानों से यूट्यूब लिंक के माध्यम से भी बड़ी संख्या में प्रतिभागी कार्यक्रम से जुड़े। कार्यशालाओं के दौरान विद्यार्थियों एवं शिक्षकों ने साइबर सुरक्षा से जुड़े अनेक प्रश्न पूछे, जिनका विशेषज्ञों ने सरल और व्यावहारिक उदाहरणों के साथ समाधान प्रस्तुत किया। विशेषज्ञों ने प्रतिभागियों को सलाह दी कि वे अपनी व्यक्तिगत जानकारी, फोटो और लोकेशन को सोशल मीडिया पर सार्वजनिक करने से बचें। अनजान ई-मेल, मैसेज या लिंक पर क्लिक न करें तथा किसी भी संदिग्ध ऑनलाइन गतिविधि की स्थिति में तुरंत सतर्कता बरतें। उन्होंने बताया कि ऑनलाइन धोखाधड़ी की शिकायत साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल cybercrime.gov.in पर या टोल फ्री नंबर 1930 पर दर्ज कराई जा सकती है। कार्यक्रम में राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी एवं उप-महानिदेशक ए.के. दधीचि के नेतृत्व में एनआईसी की टीम के सदस्य राजीव जोशी, हिमांशु कुमार, पुष्पांजलि, कैलाश किमोठी, रोहित चंद्रा, शक्ति रतूड़ी, कनुप्रिया गाबा, रचना एवं सौरभ रतूड़ी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का समापन सुरक्षित, जागरूक और जिम्मेदार डिजिटल समाज के निर्माण के संकल्प के साथ किया गया।

सहकारी संघों में तैनात होंगे प्रोफेशनल एमडीः डॉ. धन सिंह रावत

पथ प्रवाह, देहरादून

सहकारिता विभाग के अंतर्गत विभिन्न सहकारी संघों के प्रभावी संचालन व पेशेवर प्रबंधन को प्रोफेशनल मैनेजिंग डायरेक्टर तैनात किये जायेंगे, ताकि सहकारी संघों को बाजार के अुनरूप प्रतिस्पर्धा के लिये तैयार किया जा सके। दून सहकारी बाजार व निबंधक कार्यालय के निर्माण कार्य शीघ्र शुरू करने के साथ ही एआर व डीआर के डीपीसी प्रस्ताव राज्य लोक सेवा आयोग को भेजने के निर्देश अधिकारियों को दिये। आधी-अधूरी तैयारियों के साथ बैठक में पहुंचे अधिकारियों को विभागीय मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने कड़ी फटकार लगाई और भविष्य में ऐसी लापरवाही न दोहराने की सख्त चेतावनी भी दी।

सूबे के सहकारिता मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने आज देहरादून में सहकारिता विभाग की समीक्षा बैठक ली। जिसमें उन्होंने दून सहकारी बाजार, निबंधक कार्यालय के निर्माण कार्यों में हो रही अनावश्यक देरी पर विभागीय अधिकारियों को जमकार फटकार लगाई। आधी-अधूरी तैयारियों के साथ बैठक में पहुंचे अधिकारियों पर नाराजगी जताते हुये उन्होंने इसे घोर लापरवाही और अनुशासनहीनता बताया। उन्होंने भविष्य में अधिकारियों को भविष्य में पूरी तैयारी के साथ ही बैठक में आने के निर्देश दिये। डॉ.

रावत ने निबंधक सहकारिता को दून सहकारी बाजार व निबंधक कार्यालय के निर्माण कार्य शीघ्र शुरू करने के निर्देश दिये। विभागीय मंत्री ने सहकारी संघों यथा उत्तराखंड सहकारी संघ (यूसीएफ), उत्तराखंड सहकारी रेशम संघ, उत्तराखंड राज्य भण्डार निगम एवं उत्तराखंड आवास एवं निर्माण सहकारी संघ में कार्यकुशलता बढ़ाने व उन्हें बाजार की प्रतिस्पर्धी के अनुरूप तैयार करने को वर्तमान समय की आवश्यकता बताया। उन्होंने चारों सहकारी संघों में पेशेवर प्रबंधन के लिये प्रोफेशनल मैनेजिंग डायरेक्टर तैनात करने का प्रस्ताव शासन को भेजने के निर्देश अधिकारियों को दिये। डॉ. रावत ने बैठक में कृषि समिति रायवाला, एग्लो-इण्डियन सोसायटी, बीएचईएल हरिद्वार गृह निर्माण समिति एवं श्रीनगर में सहकारी विभाग की भूमि पर अवैध कब्जे व विवाद को शीघ्र सुलझाने के निर्देश भी अधिकारियों को दिये। इसके अलावा उन्होंने विभाग के अंतर्गत एआर व डीआर की पदोन्नति को डीपीसी प्रस्ताव शीघ्र राज्य लोक सेवा आयोग को भेजने, सहकारी बैंकों में विभिन्न पदों पर आयोजित होने वाली भर्ती परीक्षा को भारत सरकार के उपक्रम आईबीपीएस के माध्यम से कराने, पैक्स समितियों के सचिवों की नियमावली जारी कर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने तथा सहकारी संघों में नवीन शुल्क का निर्धारण करते हुये सदस्यता अभियान शुरू करने के निर्देश भी अधिकारियों को दिये।

भूमाफियाओं पर प्रशासन सख्त, बरसाती नाले पर कब्जा कर बनाई 8 मीटर दीवार ध्वस्त

पथ प्रवाह, देहरादून

मुख्यमंत्री पुष्कर धामी के निर्देश पर अतिक्रमण और अवैध प्लाटिंग के खिलाफ जिला प्रशासन की सख्ती जारी है। जिला प्रशासन की टीम सरकारी नाले-नौले और जलस्रोतों को अतिक्रमण मुक्त कराने में जुटा है। इसी क्रम में ग्राम गल्ज्वाड़ी में बरसाती नाले पर किए गए अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए लगभग 8 मीटर लंबी पक्की दीवार को ध्वस्त कर दिया।

जिलाधिकारी सविन बसंल के निर्देश पर उप जिलाधिकारी न्याय कुमकुम जोशी के नेतृत्व में राजस्व एवं प्रशासनिक टीम ने मौके पर पहुंचकर बरसाती नाले की भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया। प्रशासन ने मौके पर चल रही अवैध प्लाटिंग और निर्माण गतिविधियों को तत्काल प्रभाव से रुकवा दिया। प्रशासन को गढ़ी कैंट क्षेत्र के घंघोड़ा निवासियों द्वारा शिकायत प्राप्त हुई थी कि जितेन्द्र मलिक पुत्र ब्रजपाल, जो पुलिस विभाग से सेवानिवृत्त सिपाही हैं, द्वारा ग्राम गल्ज्वाड़ी में लगभग 77 बीघा भूमि पर अवैध प्लाटिंग की जा रही है। शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया कि संबंधित व्यक्ति और उनके परिजनों के नाम भूमि दर्ज कर अवैध रूप से भू-विक्रय किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त ग्राम यदुवाला में लगभग 18 बीघा सरकारी भूमि तथा ग्राम पंचायत गल्ज्वाड़ी के मजरा खाबड़वाला में करीब 80 बीघा जलमग्न भूमि पर कब्जे के प्रयास की भी जानकारी दी गई थी। शिकायत के आधार पर जिलाधिकारी के निर्देश पर राजस्व विभाग द्वारा स्थलीय एवं अभिलेखीय जांच कराई गई। जांच में पाया गया कि खाता खतौनी संख्या 123 के अंतर्गत विभिन्न खसरा नंबरों की भूमि सहखातेदारों कुनाल सिंह मलिक एवं प्रिंस आनंद के नाम दर्ज है। वहीं खाता खतौनी संख्या 65 के अंतर्गत खसरा संख्या 933क की भूमि धीरज भाटिया आदि के नाम भूमिधरी के रूप में दर्ज पाई गई। स्थलीय निरीक्षण के दौरान टीम को खसरा संख्या 933 और 1185 के मध्य खसरा संख्या 962क के रूप में दर्ज बरसाती नाला मिला, जिस पर लगभग 8 मीटर क्षेत्र में पक्की सुरक्षा दीवार बनाकर प्राकृतिक जल प्रवाह को बाधित किया गया था। साथ ही खसरा संख्या 1185, 1166 और 933 के मध्य दर्ज नाले की मूल प्रकृति में भी परिवर्तन पाया गया।

निरीक्षण के दौरान संबंधित क्षेत्र में साल के वृक्ष भी पाए गए। हालांकि वृक्षों के कटान के साक्ष्य मौके पर नहीं मिले, लेकिन वृक्षों के सूखने या सुखाने के संबंध में वन विभाग द्वारा अलग से जांच की जा रही है।

राजस्व विभाग की जांच में यह स्पष्ट हुआ कि संबंधित व्यक्तियों द्वारा अपनी भूमि पर प्लाटिंग का कार्य किया जा रहा था, लेकिन बरसाती नाले की भूमि पर किया गया निर्माण पूरी तरह अवैध था, जिसे प्रशासन द्वारा ध्वस्त कर दिया गया।

एक नजर

पाबौ में जन-जन की सरकार कार्यक्रम में फूटा जनप्रतिनिधियों का गुस्सा

पथ प्रवाह, पाबौ। विकासखंड पाबौ में प्रदेश सरकार द्वारा संचालित जन-जन की सरकार कार्यक्रम उस समय विवादों में घिर गया, जब जनसमस्याओं की सुनवाई और समाधान को लेकर जनप्रतिनिधियों ने खुलकर विरोध दर्ज कराया। कार्यक्रम के दौरान जिला पंचायत सदस्य कलूण भरत रावत ने हर घर जल-हर घर नल योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना के क्रियान्वयन पर गंभीर सवाल खड़े किए।

भारत रावत ने कहा कि कई पात्र लोगों को योजनाओं से जानबूझकर वंचित रखा गया है, जबकि अपात्र लोगों को लाभ दिया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि जिला प्रशासन के कुछ उच्च अधिकारी पात्र लोगों की फाइलों को आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि जब सर्दियों में ही जल संस्थान पेयजल व्यवस्था सुचारू नहीं कर पा रहा है, तो आने वाली गर्मियों में स्थिति और भयावह हो सकती है।

समस्याओं का मौके पर समाधान न होने से नाराज जनप्रतिनिधियों ने बैठक से बहिर्गमन किया और बैठक कक्ष के बाहर बैठकर अपना विरोध दर्ज कराया। इस दौरान क्षेत्र पंचायत सदस्य मनोज रावत ने कहा कि सरकारी कर्मचारी केवल योजनाओं का बखान कर वाहवाही लूट रहे हैं, जबकि धरातल पर कई योजनाएं दिखाई नहीं दे रही हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि आगामी बीटीसी बैठक में समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो अधिकारियों के खिलाफ और उग्र विरोध किया जाएगा। वहीं क्षेत्र पंचायत सदस्य संदीप रावत ने प्राथमिक विद्यालय पाबौ की जर्जर स्थिति का मुद्दा उठाया। उन्होंने बताया कि विद्यालय की मरम्मत के लिए कई बार पत्राचार किया गया, लेकिन न तो आपदा मद से और न ही किसी अन्य मद से धनराशि मिली, जिससे बच्चे जान जोखिम में डालकर पढ़ने को मजबूर हैं।

इस पूरे मामले पर मुख्य विकास अधिकारी गिरीश गुणवंत ने बताया कि कार्यक्रम के तहत करीब 49 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें से अधिकांश का मौके पर निस्तारण किया गया। हर घर जल-हर घर नल योजना से जुड़ी शिकायतों पर जांच के आदेश दिए गए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर उन्होंने कहा कि जैसे ही शासन से अतिरिक्त आवंटन प्राप्त होगा, सभी पात्र लोगों को लाभ दिया जाएगा। कार्यक्रम में जिला पंचायत सदस्य कर्मवीर भंडारी, क्षेत्र पंचायत सदस्य संदीप रावत, मनोज रावत, पूर्व प्रधान कुंज बिहारी पंत सहित दर्जनों जनप्रतिनिधि मौजूद रहे।

मिशन ज्ञान गंगा : समीक्षा बैठक में डिजिटल शैक्षिक पहल की सराहना

हरिद्वार। बोर्ड परीक्षार्थियों को कठिन विषयों की सरल एवं प्रभावी तैयारी उपलब्ध कराने के लिए संचालित 'मिशन ज्ञान गंगा' की प्रगति की समीक्षा की गई। जिला प्रशासन ने इस अभिनव पहल को शिक्षा क्षेत्र में एक सकारात्मक परिवर्तनकारी कदम बताया। बैठक में डिजिटल माध्यम से तैयार किए जा रहे विषय-आधारित वीडियो कंटेंट की पहुँच, उपयोगिता एवं प्रभाव पर विस्तार से चर्चा की गई। समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने कहा कि मिशन ज्ञान गंगा विद्यार्थियों के लिए सुगम, सुलभ और गुणवत्तापूर्ण अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराने का सशक्त माध्यम बन रहा है। उन्होंने कहा 'डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से कठिन विषयों को सरल रूप में प्रस्तुत करना समय की आवश्यकता है।

कुंभ मेला अधिष्ठान के अधिकारी प्रतिदिन करेंगे कार्यों का स्थलीय निरीक्षण

पथ प्रवाह, हरिद्वार

आगामी कुंभ मेला 2027 की तैयारियों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूर्ण कराने के लिए मेला प्रशासन ने निगरानी व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ कर दिया है। मेला अधिकारी श्रीमती सोनिका ने मेला अधिष्ठान स्तर पर सभी विभागों द्वारा कराए जा रहे कार्यों की नियमित समीक्षा एवं प्रभावी अनुश्रवण सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए हैं।

मेला अधिकारी सोनिका के अनुसार मेला अधिष्ठान में नियुक्त प्रत्येक अधिकारी को अपने-अपने आवंटित विभागों के अंतर्गत संचालित कार्यों में से प्रतिदिन कम से कम एक कार्य का स्थलीय निरीक्षण अनिवार्य रूप से करना होगा। निरीक्षण के दौरान कार्य की प्रगति, गुणवत्ता, समयबद्धता तथा मौके पर मौजूद समस्याओं का आकलन किया जाएगा, ताकि किसी भी प्रकार की लापरवाही या देरी को समय रहते दूर किया जा सके।

आदेश में स्पष्ट किया गया है कि निरीक्षण उपरांत संबंधित अधिकारी अपनी विस्तृत आख्या समयबद्ध रूप से मेला प्रशासन को प्रस्तुत करेंगे। इन आख्या के आधार पर उच्च स्तर पर समीक्षा की जाएगी और आवश्यकता पड़ने पर सुधारात्मक कदम उठाए जाएंगे। मेला अधिकारी ने कहा कि कुंभ मेला जैसे विशाल आयोजन में सभी विभागों के बीच बेहतर समन्वय और नियमित मॉनिटरिंग अत्यंत आवश्यक है, जिससे श्रद्धालुओं को सुचारु, सुरक्षित और सुविधाजनक व्यवस्थाएं उपलब्ध कराई जा सकें।

मेला प्रशासन का मानना है कि प्रतिदिन के स्थलीय निरीक्षण से कार्यों की वास्तविक स्थिति सामने आएगी और जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही भी तय होगी। इससे निर्माण कार्यों, आधारभूत सुविधाओं, यातायात, स्वच्छता, सुरक्षा और अन्य व्यवस्थाओं में किसी भी प्रकार की कमी को प्रारंभिक स्तर पर ही दूर किया जा सकेगा।

मेला अधिकारी श्रीमती सोनिका ने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे निरीक्षण को केवल औपचारिकता न मानें, बल्कि गंभीरता से कार्यों की समीक्षा करें और यदि कहीं भी मानकों के अनुरूप कार्य नहीं पाया जाए तो तत्काल आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें।

उत्तरकाशी पुलिस आपके द्वार कार्यक्रम में महर्षि विद्या मंदिर ज्ञानसू में जनजागरूकता शिविर

पथ प्रवाह, उत्तरकाशी

समाज को सुरक्षित, जागरूक एवं अपराधमुक्त बनाने के उद्देश्य से उत्तरकाशी पुलिस द्वारा संचालित 'पुलिस आपके द्वार' कार्यक्रम के अंतर्गत मंगलवार को महर्षि विद्या मंदिर ज्ञानसू, उत्तरकाशी में एक व्यापक जनजागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में छात्र-छात्राओं को महिला अपराध, साइबर अपराध तथा सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक किया गया।

कार्यक्रम के दौरान उत्तरकाशी पुलिस ने छात्र-छात्राओं को नशा, साइबर अपराध, यातायात नियमों एवं महिला सुरक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान कीं। इस अवसर पर महिला उपनिरीक्षक श्रीमती गीता (प्रभारी महिला काउंसलिंग सेल) ने छात्र-छात्राओं को महिला एवं बाल सुरक्षा से जुड़े कानूनों और अधिकारों की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने उत्तराखंड पुलिस एप के गौरा शक्ति फीचर, डायल 112 सेवा तथा महिला सुरक्षा हेतु चलाए जा रहे विशेष अभियान 'अभया' के बारे में जानकारी देते हुए हेल्पलाइन नंबर युक्त कार्ड वितरित किए। छात्राओं की शिकायतों के त्वरित समाधान हेतु विद्यालय परिसर में स्पीक अप बॉक्स भी स्थापित किए गए। कार्यक्रम में यातायात उपनिरीक्षक लक्ष्मण सिंह चुफाल ने 36वें सड़क सुरक्षा माह 2026 के अंतर्गत सड़क सुरक्षा एवं यातायात नियमों पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने नाबालिगों द्वारा वाहन न चलाने, हेलमेट के अनिवार्य प्रयोग, ओवरस्पीडिंग एवं रैश ड्राइविंग से होने वाले दुष्परिणामों के प्रति छात्र-छात्राओं को जागरूक किया।

मुख्य आरक्षी संजय बिष्ट द्वारा साइबर अपराधों के संबंध में जानकारी देते हुए अज्ञात कॉल, मैसेज, ई-मेल, लिंक एवं लालचभरे ऑफर्स से सावधान रहने की अपील की गई। उन्होंने सोशल मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म का सुरक्षित उपयोग करने, ओटीपी एवं पिन किसी के साथ साझा न करने तथा किसी भी साइबर ठगी की स्थिति में तत्काल साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर सूचना देने के निर्देश दिए।

इस अवसर पर विद्यालय के प्रधानाचार्य विवेक रावत सहित विद्यालय के शिक्षकगण उपस्थित रहे। उन्होंने उत्तरकाशी पुलिस द्वारा चलाए जा रहे इस जनोपयोगी अभियान की सराहना करते हुए इसे विद्यार्थियों के लिए अत्यंत लाभकारी बताया है।

भूपतवाला क्षेत्र में अज्ञात व्यक्ति का संदिग्ध अवस्था में शव बरामद

पथ प्रवाह, हरिद्वार

भूपतवाला क्षेत्र के शिव सदन आश्रम वाली गली में मंगलवार सायं एक अज्ञात व्यक्ति के बेहोशी की हालत में पड़े होने की सूचना से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। शाम लगभग 17:40 बजे मोबाइल नंबर 7535043512 से डायल 112 पर सूचना प्राप्त हुई, जिसके बाद तत्काल पुलिस एवं 108 एंबुलेंस सेवा मौके पर पहुंची। एंबुलेंस के माध्यम से उक्त व्यक्ति को अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। स्थानीय लोगों द्वारा मृतक का नाम श्याम बताया गया है, हालांकि उसके पिता का नाम व स्थायी पता ज्ञात नहीं हो सका है। मृतक की अनुमानित आयु लगभग 45 वर्ष बताई जा रही है। पुलिस द्वारा शव को पोस्टमार्टम हेतु जिला अस्पताल की मोर्चरी में सुरक्षित रखवाया गया है, जहां उसे टैग नंबर 76 प्रदान किया गया। पहचान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मृतक के फिंगरप्रिंट एवं फोटोग्राफी भी कराई गई है। जामा तलाशी के दौरान मृतक के पास से कोई पहचान पत्र या पता संबंधी दस्तावेज बरामद नहीं हुए। वेशभूषा के आधार पर मृतक हिंदू प्रतीत होता है। मृतक का कद लगभग 5 फुट 2 इंच, रंग सांवला, सिर के बाल काले एवं क्लीन शेव हैं। उसने नीले रंग की पैंट, नीला लोअर, काले-सफेद रंग का स्वेटर, गले में भूरा धारीदार गमछा तथा काला धागा जिसमें भोलेनाथ का लॉकेट पहना हुआ है।

हरिद्वार-रुड़की महायोजना 2041 पर सचिवालय में उच्चस्तरीय मंथन

पथ प्रवाह, देहरादून।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दिशा-निर्देशों के अनुरूप उत्तराखंड में नियोजित, संतुलित और सतत शहरी विकास को नई गति देने के उद्देश्य से आवास विभाग द्वारा लगातार ठोस प्रयास किए जा रहे हैं। इसी क्रम में भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित अमृत 1.0 योजना के अंतर्गत प्रस्तावित हरिद्वार एवं रुड़की महायोजना-2041 के प्रारूप को लेकर राज्य सचिवालय, देहरादून में एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता आवास सचिव डॉ. आर. राजेश कुमार ने की।

बैठक में नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग द्वारा तैयार की जा रही हरिद्वार और रुड़की महायोजना-2041 के विभिन्न प्रावधानों पर विस्तार से चर्चा की गई। दीर्घकालिक शहरी विकास को ध्यान में रखते हुए भूमि उपयोग, आवासीय एवं औद्योगिक क्षेत्रों का संतुलन, यातायात प्रबंधन, आधारभूत सुविधाओं का विस्तार, पर्यावरण संरक्षण और सार्वजनिक सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण जैसे अहम विषयों को प्राथमिकता के साथ रखा गया।

इस अवसर पर चीफ टॉउन एंड कंट्री प्लानर शशि मोहन श्रीवास्तव ने महायोजना के प्रारूप की विस्तृत प्रस्तुति दी। उन्होंने अब तक की गई कार्यवाही, सार्वजनिक सुनवाई की स्थिति और आगामी चरणों की जानकारी आवास सचिव के समक्ष रखी। प्रस्तुति के दौरान यह भी बताया गया कि महायोजना को भविष्य की जनसंख्या वृद्धि और शहरी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है।

बैठक में सार्वजनिक सहभागिता को विशेष महत्व दिया गया। उल्लेखनीय है कि हरिद्वार एवं रुड़की महायोजना-2041 के प्रारूप पर सार्वजनिक सुनवाई की प्रक्रिया पहले ही सफलतापूर्वक पूरी की जा चुकी है। इस दौरान हरिद्वार महायोजना के लिए लगभग 350 तथा रुड़की महायोजना के लिए लगभग 550 सुझाव एवं आपत्तियां प्राप्त हुईं। बैठक में इन सभी सुझावों और आपत्तियों पर बिंदुवार चर्चा करते हुए उनके निस्तारण की प्रक्रिया को अंतिम रूप देने पर गंभीर मंथन किया गया।

आवास सचिव डॉ. आर. राजेश कुमार ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जनता से प्राप्त प्रत्येक सुझाव का पारदर्शी, गंभीर और नियमानुसार परीक्षण किया जाए, ताकि महायोजना जनअपेक्षाओं के अनुरूप और व्यावहारिक बन सके। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार उत्तराखंड के शहरों को आधुनिक, सुव्यवस्थित और भविष्य की जरूरतों के अनुरूप विकसित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

डॉ. आर. राजेश कुमार ने कहा कि हरिद्वार एवं रुड़की महायोजना-2041 का उद्देश्य केवल भौतिक विकास तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें पर्यावरण संरक्षण, बेहतर यातायात व्यवस्था, मजबूत आधारभूत ढांचा और नागरिकों को उच्च जीवन स्तर प्रदान करना भी शामिल है। सार्वजनिक सुनवाई के माध्यम से मिले सुझावों को महायोजना में समाहित कर इसे अधिक प्रभावी और जनोपयोगी बनाया जाएगा।

बैठक के अंत में आवास सचिव ने नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि महायोजना-2041 को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में समयबद्धता सुनिश्चित की जाए, ताकि इसे शीघ्र शासन स्तर पर अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जा सके। उन्होंने विश्वास जताया कि इस महायोजना का प्रभावी क्रियान्वयन आने वाले वर्षों में हरिद्वार और रुड़की को आधुनिक, सुव्यवस्थित और सशक्त शहरी केंद्र के रूप में विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। बैठक में विभाग के मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

एक नजर

प्रत्येक मतदान केंद्रों पर बीएलए 2 तैनात करने के जिला निर्वाचन अधिकारी मयूर दीक्षित ने दिए निर्देश

पथ प्रवाह, हरिद्वार। निर्वाचन आयोग द्वारा प्रत्येक विधानसभा क्षेत्रांतर्गत प्रत्येक मतदान केंद्र/मतदेय स्थल के लिए फार्म आईडी बीएलए 2 में बूथ लेवल एजेंट बीएलए नियुक्त किए जाने के निर्देश दिये गए हैं। इस संबंध में जिला निर्वाचन अधिकारी मयूर दीक्षित की अध्यक्षता में कैम्प कार्यालय में राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिला निर्वाचन अधिकारी ने उपस्थित राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों से कहा कि निर्वाचन आयोग के स्पष्ट निर्देश है कि एसआईआर की संपूर्ण प्रक्रिया में राजनीतिक दलों की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है,जिसके लिए राजनीतिक दलों द्वारा नियुक्त बीएलए को एसआईआर गतिविधियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी।उन्होंने सभी राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों से अपेक्षा की है की जिन्होंने अभी तक सभी मतदान केंद्रों एवं मतदेय स्थलों के लिए बीएलए की नियुक्ति नहीं की गई है वह एक सप्ताह के भीतर बीएलए 2 कि तैनाती अनिवार्य रूप से कर ले तथा तैनात किए गए बीएलए की सूची जिला निर्वाचन कार्यालय को उपलब्ध कराने को कहा, जिसमें प्रत्येक विधानसभा वार/मतदेय स्थल वार बीएलए की नियुक्ति करवाने हेतु निर्धारित प्रारूप बीएलए 2 संशोधित प्रारूप जिसमें फोटो और मोबाइल नंबर आवश्यक है। उन्होंने कहा कि बूथ लेवल एजेंटों को संबंधित मतदान केंद्र के बूथ लेवल के अधिकारियों बीएलओ के साथ काम करते हुए मतदाता सूची में प्रविष्टि को शामिल करने,हटाने,संशोधित करने और स्थानांतरित करने के लिए आवेदन दाखिल करने में मतदेय केंद्र के पात्र नागरिकों का मार्ग दर्शन और सहायता करने का कार्य करना है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने सहायक निर्वाचन अधिकारी को निर्देश दिए है कि जिन राजनीतिक दलों द्वारा अभी तक किसी भी विधानसभा के मतदान स्थलों के लिए बीएलए की नियुक्ति नहीं की गई है, ऐसे राजनीतिक दलों को बीएलए नियुक्त करने के लिए पत्र प्रेषित करने के निर्देश दिए गए। बैठक में भाजपा के पदाधिकारी सुशील त्यागी ,राजकुमार,गौरव वर्मा,कांग्रेस के पदाधिकारी बीएस तेजयान, चंद्रपाल सिंह,संतोष कुमार, सीपीआई (एम) के पदाधिकारी राजीव गर्ग, सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी अरुणेश पैन्यूली,राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि सहित संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे ।

'स्मार्ट टेक, सुरक्षित विकल्प– एआई के सुरक्षित और ज़िम्मेदार इस्तेमाल की खोज' विषय पर कार्यशाला

पथ प्रवाह, हरिद्वार। जिला सूचना विज्ञान अधिकारी यशपाल सिंह ने बताया कि सेफर इंटरनेट दिवस के अवसर पर कार्यशाला का आयोजन विकास भवन सभागार में किया गया। जिसका शुभारंभ मुख्य अतिथि मुख्य कोषाधिकारी अजय कुमार एवं जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी नलिनी ध्यानी द्वारा किया गया। उन्होंने अवगत कराया है कि इस कार्यशाला में सुरक्षित इन्टरनेट के इस्तेमाल एवं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) का सुरक्षित और जिम्मेदार (Safe and Responsible) उपयोग के बारे में अवगत कराया गया। जिला सूचना विज्ञान अधिकारी यशपाल सिंह द्वारा सुरक्षित इंटरनेट दिवस के संबंध में पीपीटी के माध्यम से सुरक्षित इंटरनेट उपयोग के बारे में जानकारी दी गई। कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं द्वारा बताया गया कि द्ध तकनीक वर्तमान समय में शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रशासन, मीडिया एवं उद्योग जैसे अनेक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है, परंतु इसके साथ-साथ डेटा सुरक्षा, गोपनीयता, फेक कंटेंट, साइबर जोखिम एवं नैतिक उपयोग जैसे विषयों पर सतर्कता अत्यंत आवश्यक है।

वरुणावत पर्वत टॉप पर बनेगा इको पार्क, उत्तरकाशी को मिलेगा नया पर्यटन आकर्षण

डीएम प्रशान्त आर्य की अध्यक्षता में बैठक, इको-फ्रेंडली डिज़ाइन और ट्रेक मार्ग सुधार पर ज़ोर

पथ प्रवाह, उत्तरकाशी

जनपद उत्तरकाशी में इको टूरिज्म को नई ऊंचाइयों तक ले जाने की दिशा में जिला प्रशासन द्वारा एक महत्वपूर्ण पहल की जा रही है। इसी क्रम में वरुणावत पर्वत टॉप पर इको पार्क विकसित किए जाने को लेकर मंगलवार को जिलाधिकारी प्रशान्त आर्य की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में पर्यटन विभाग, वन विभाग एवं होटल एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

बैठक को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी प्रशान्त आर्य ने कहा कि प्रस्तावित इको पार्क का निर्माण किसी अनुभवी आर्किटेक्ट के माध्यम से कराया जाए, जिससे पार्क का डिज़ाइन आकर्षक, आधुनिक एवं पूर्णतः पर्यावरण अनुकूल हो। उन्होंने स्पष्ट किया कि विकास कार्य इस प्रकार किए जाएं कि पर्वतीय क्षेत्र की नैसर्गिक सुंदरता बनी रहे तथा स्थानीय जैव विविधता को किसी भी प्रकार की क्षति न पहुंचे। इको पार्क पर्यटकों को प्रकृति के निकट ले जाने के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी देगा। बैठक में वरुणावत टॉप तक पहुंच को और अधिक सुगम एवं सुरक्षित बनाने पर भी विस्तार से चर्चा की गई। जिलाधिकारी ने बस अड्डे के समीप से वरुणावत व्यू पॉइंट तक प्रस्तावित ट्रेक मार्ग के सुधारीकरण के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ट्रेक मार्ग को सुरक्षित, सुव्यवस्थित और पर्यटक-अनुकूल बनाया जाए, ताकि देश-विदेश से आने वाले पर्यटक ट्रेकिंग का भरपूर आनंद ले सकें। इको पार्क में पर्यटकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए कई आवश्यक व्यवस्थाएं विकसित किए जाने पर भी सहमति बनी। इनमें कैफेटेरिया एरिया, बच्चों के लिए झूले, पर्याप्त बैठने की व्यवस्था, आकर्षक सेल्फी पॉइंट तथा सूचना बोर्ड शामिल हैं। जिलाधिकारी ने वन विभाग को निर्देश दिए कि इन सभी सुविधाओं को समाहित करते हुए शीघ्र एक विस्तृत परियोजना प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किया जाए। जिलाधिकारी ने कहा कि वरुणावत पर्वत टॉप पर इको पार्क के विकसित होने से उत्तरकाशी को एक नया पर्यटन केंद्र मिलेगा। इससे जहां एक ओर पर्यटकों की संख्या में वृद्धि होगी, वहीं दूसरी ओर स्थानीय लोगों के लिए रोजगार एवं स्वरोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे। उन्होंने कहा कि पर्यटन विकास के साथ पर्यावरण संरक्षण जिला प्रशासन की प्राथमिकता है। बैठक में जिला पर्यटन विकास अधिकारी के.के. जोशी, एसडीओ श्रीमती रश्मि ध्यानी, होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष शैलेन्द्र मटूड़ा सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

जिलाधिकारी अंशुल सिंह की नशामुक्त अल्मोड़ा बनाने की मुहिम, कड़े निर्देश

पथ प्रवाह, अल्मोड़ा

जनपद को मादक पदार्थों के दुरुपयोग से मुक्त करने की दिशा में जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। इसी क्रम में मंगलवार को जिलाधिकारी अंशुल सिंह की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट स्थित वीसी कक्ष में एनकॉर्ड (हृष्टह्लत्रष्ठ) की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें नशीले पदार्थों की रोकथाम एवं प्रभावी नियंत्रण को लेकर व्यापक समीक्षा की गई।

बैठक में जिलाधिकारी अंशुल सिंह ने स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि जनपद में मादक द्रव्यों एवं प्रीकर्सर केमिकल (पूर्वगामी रसायनों) के दुरुपयोग पर कड़ी निगरानी रखी जाए तथा बिना प्राधिकरण अथवा लाइसेंस के नशीली दवाओं की बिक्री करने वालों के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने संबंधित विभागों को आपसी समन्वय के साथ संयुक्त अभियान चलाकर नशा तस्करों पर प्रभावी प्रहार करने के निर्देश दिए।

जिलाधिकारी अंशुल सिंह ने नशा पीड़ित व्यक्तियों की पहचान कर उनके समुचित उपचार एवं पुनर्वास पर विशेष बल दिया। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग एवं नशा मुक्ति केंद्रों को निर्देशित किया कि नशा पीड़ितों की नियमित काउंसलिंग, चिकित्सकीय उपचार एवं आवश्यकतानुसार पुनर्वास केंद्रों में भेजने की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। साथ ही नशा छोड़ चुके व्यक्तियों की निरंतर काउंसलिंग कर उन्हें समाज की मुख्यधारा से जोड़ने के प्रयास तेज करने के निर्देश भी दिए गए। बैठक के दौरान जनपद में नशीले पदार्थों की वर्तमान स्थिति की गहन समीक्षा की गई तथा नशा तस्करी में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध सख्त एवं निरंतर कार्रवाई पर जोर दिया गया। इसके लिए पुलिस एवं अन्य संबंधित विभागों को समन्वित रणनीति के तहत कार्य करने को कहा गया।

स्वामी/प्रकाशक वीरेन्द्र सिंह ने मुद्रक प्रमोद कुमार, जय माँ गंगा प्रिन्टर्स, राजराणा कॉम्पलैक्स निकट खाद गोदाम, जमालपुर कलां, ज्वालापुर, हरिद्वार (उत्तराखण्ड) से मुद्रित कराकर, मुख्य कार्यालयः 40 शांतिपुरम कॉलोनी जगजीतपुर, कनखल, हरिद्वार, उत्तराखंड 249408 (उत्तराखण्ड) से प्रकाशित किया। वीरेन्द्र सिंह (सम्पादक) 9411111733, डॉ सुशील शर्मा(उप संपादक) 9837906777 किसी भी वाद विवाद का निपटारा हरिद्वार में होगा। वेबसाईट- www.pathpravah.com